रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 1975/पौष 8, 1897

No. 337] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 1975/PAUSA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 1975

COST ACCOUNTING RECORDS (JUTE GOODS) RULES, 1975

G.S.R. 590 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely.—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cost Accounts Records (Jute Goods) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1976.

2. **Application.** -They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of jute goods.

3. **Definition.** In these rules unless the context otherwise requires, "'Jute Goods' means yarn, twin, fabrics or any other product made wholly from, or containing not less than 50 per cent by weight of, jute including bimlipattam jute or mesta fibres".

4. **Maintenance of records.** (1) Every company to which these rules apply shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the commencement of these rules, keep proper books of account containing *inter alia*, the particulars specified in Schedules I and II annexed to these rules relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to jute goods.

Provided that if the said company is manufacturing any other products or engaged in other activities in addition to jute goods, the particulars relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to such other products or activities shall not be included in the cost of such jute goods.

(2) The books of account referred to in sub-rule (1) shall be kept in such a way as to make it possible to calculate the cost of production and cost of sales of each quality of jute goods during a financial year (hereinafter referred to as the relevant period) from the particulars entered therein. Such books of account and the proformae specified in Schedule II shall be completed within ninety days from the end of the financial year of the company to which they relate.

(3) It shall be the duty of every person referred to in sub-section (6) and sub-section (7) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the provisions of sub-rules (1) and (2) in the same manner as they are liable to maintain financial accounts required under sub-section (1) of section 209 of the said Act.

5. **Penalty.**—If a company contravenes the provisions of rule 4, the company and every officer thereof who is in default, including the persons referred to in sub-rule (3) of that rule shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and, where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such contravention continues.

SCHEDULE—I

(*See* rule 4)

I. **Materials:**

(a) *Raw Materials.*—(1) Raw Jute: Proper records shall be maintained showing quantity and cost of all the various categories of raw jute quality-wise as per mill grading with corresponding market classification such as Tossa Top, Tossa L.G., Tossa S. G., Tossa S. Mid., Tossa Mid., Tossa Bot., Tossa B. Bot, Tossa X: Bot:, White Top, White S. Mid, White Mid., White Bot, White B. Bot, White X. Bot, Mesta Top, Mesta S. Mid, Mesta Mid, Mesta Bot, Mesta B. Bot, Mesta X Bot and cutting etc., procured at different purchasing centres or at factory gate. Records shall contain such details as to enable the company to determine quantity and cost of receipts source-wise (including all direct charges incurred upto the works) issues and balances. The records shall also indicate the deductions made from contract prices on account of higher moisture content, inferior quality and for other reasons. Detailed records showing the contracts entered into for purchase and sale of the various qualities and quantities of raw jute shall also be maintained. The data in respect of raw jute shall be maintained in such a manner as to enable the company to furnish the necessary particulars in Proforma 'A'.

The rate charged for raw jute consumed for the manufacture of different counts of yarn required for jute goods like sacking, hessian, carpet backing, sale yarn, twine or for any other product shall be disclosed in the cost records. The value of jute consumption shall be determined with reference to the actual quantities of different qualities of raw jute used for the manufacture of the various count of yarn. If the rate adopted for arriving at the value of consumption is different from the actual cost, the value shall be so adjusted as to bring it to the actual cost at least before the end of the financial year.

(ii) *Batch cost of raw jute.*—Proper records showing the quality-wise quantities and cost thereof the raw jute consumed in the production of different qualities and counts of yarn such as 8 lb. Hessian Warp, 9 lb. Messian weft, 10 lb. sacking warp shall be maintained in Proforma 'B'. Details of the quantities of line cuttings, hessian cuttings, waste yarn, caddies, etc., used in the manufacture of coarse yarn like sacking weft shall be maintained in Proforma 'B' either on the basis of actuals if available or on the basis of standard for the relevant count. The overall total quantity and cost of different batches of jute, cuttings, waste materials etc., used

in the manufacture of jute goods produced during the year as per summary of Proforma 'B' shall be reconciled with the total quantity and cost of jute consumed as per Proforma 'A' and 'A1' of Schedule II. Where standards are adopted, the variances shall be adjusted by broad classification of raw jute groups used for each quality of yarn under Proforma 'B'. Such raw jute groups shall be at least three fold namely high, medium and low. Where standards for computation of raw jute consumption and value are adopted, basis for such standard out turn percentages of different qualities of raw jute shall be maintained.

(b) *Direct Materials*—(1) *Batching emulsions.*—Proper record shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of direct materials such as batching oil, soap, and other emulsifying materials used for softening of different qualities or raw jute. The costs shall include all direct charges incurred upto the works, wherever specifically incurred. The issues shall be indentified properly with the departments and cost centres. As for batches and individual products, if standards are adopted the variances shall be adjusted on equitable and consistent basis.

(ii) *Cotton Selvedge.*—Proper records shall be maintained showing receipts, issues and balances both in the quantities and cost of selvedge yarn duly identifying the issues with the department, cost centres and the individual specifications of products like sacking, hessian and carpet backing. The costs shall include all direct charges incurred upto the works, wherever specifically incurred. If standards are adopted, the variances shall be adjusted on equitable and consistent basis.

(iii) *Starch.*—Proper records shall be maintained showing receipts, issues and balances both in quantity and cost of T. S. powder or any other items of starch. The cost shall include all direct charges incurred upto works The issues shall be properly identified with the departments, cost centres and products like sacking, hessian and carpet backing. Allocation of the cost of starch consumed in the manufacture of jute goods of different specifications and sizes in the same group shall be made on a reasonable basis and followed consistently.

(c) *Lubricating Oil.*—Proper records shall be maintained to show receipts, issues and balances both in quantity and cost of each item of lubricating oil used by the jute factory. The issues shall be properly identified with the departments and cost centres and absorbed on individual product costs on machine hours, spindle hours, loom hours or on any other more appropriate basis.

(d) *Consmable Stores, Small Tools, Machinery Spares, etc.*:

(i) Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and costs of each item of consumable stores, small tools and machinery spares. The costs shown shall include all direct charges incurred upto works, wherever specifically incurred.

(ii) In the case of consumable stores and small tools, the costs of which are insignificant, the company may, if it so desires, maintain such records for the main groups of such items.

(iii) The costs of issues of consumable stores, small tools and machinery spares shall be charged to the relevant heads of account such as production, repairs and maintenance of plant and machinery, repairs to building duly identified with the departments and cost centres. These expenses pertaining to each department and cost centre shall be absorbed in individual product costs on the basis of machine hours, spindle and loom hours or on any other more appropriate basis.

Materials consumed for capital works such as addition to buildings, plant and machinery and other assets shall be shown under the relevant capital heads.

(e) *Wastages, spoilages, rejections, losses and gain in weight of materials.*—Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of wastages, spoilages, rejections and losses of raw jute, other direct materials, lubricating oil, consumable stores, small tools and machinery spares whether in transit, storage or during manufacture, or for any other reasons.

The method followed for adjusting the above losses as well as the income derived from the disposal of rejected and waste materials including scrap, if any, in determing the cost of the product under reference shall be indicated in the cost records.

A separate overall wastage and gain in weight statement showing the net loss or gain in weight of the finished jute products. On an overall basis shall also be maintained as indicated in Annexure I to this Schedule.

Separate records in quantity and cost shall be maintained for the recovery and consumption of line cuttings, caddies, thread waste and other waste materials as in Proforma A1 of Schedule II. Separate records showing the loss between winding and weaving and weaving and packing shall also be maintained under Annexure II and IIA. The method followed for adjustment of the costs of these items shall be consistent and be stated in the cost records.

II. **Salaries and wages:**

(a) Proper records shall be maintained to show the attendance and earnings of all employees and the departments and cost centres and the work on which they are employed. The records shall also indicate separately for each department and cost centre:

(i) piece-rate wages earned;

(ii) incentive wages earned, either individually or collectively us production bonus or under any other scheme based on output;

(iii) overtime wages earned;

(iv) earnings of labour engaged on casual work.

(b) Idle time shall be separately recorded under classified headings indicating the reasons therefor. The method followed for accounting of idle time payments in determining the cost of the products shall be disclosed in the records.

(c) Any wages and salaries allocable to capital works such as additions to plant and machinery, buildings, or other fixed assets shall be accounted for under the relevant capital heads.

(d) Direct and indirect wages including fringe benefits allocated to cost centres (except piece-rate wages) shall generally be absorbed in individual product costs on the basis of machine hours, spindle hours, loom hours or on any other more appropriate basis.

The piece-rate wages including the fringe benefits thereof shall be absorbed on the basis of the corresponding output such as yardage, bales, number of bags, tonnes as the case may be.

III. **Service Department Expenses:**

Detailed records shall be maintained to indicate expenses incurred for each service department or cost centre. These expenses shall be apportioned to other service and production department on an equitable basis.

IV. **Utilities:**

(a) *Steam.*—Where steam is raised by the jute factory of the company, proper records showing the quantity and cost of steam raised and consumed for the production of jute goods shall be maintained, in such details as may enable the company to furnish the necessary particulars in Annexure III to this Schedule. The cost of steam consumed by the jute factory and other units of the company shall be calculated on a reasonable basis and applied consistently.

Where steam is raised and supplied by any other unit of the company to the jute factory, the cost of steam so supplied shall be charged to the jute goods activity on a reasonable basis and applied consistently.

Steam cost shall be charged to the individual products on a reasonable basis and applied consistently.

(b) *Power.*—Proper records shall be maintained to show the quantity and cost of power purchased. Where power is also generated by the company, adequate records shall be maintained to show the cost of power generated in a similar proforma as for steam. The records shall also show the consumption of power by the various departments and cost centres. The cost of power should be allocated to the cost centres on reasonable basis, and further be absorbed to the individual products on a reasonable basis such as machine hours, spindle hours, loom hours and applied consistently.

V. **Workshop/Foundry/Repairs and Maintenance:**

Proper records showing the expenditure incurred by the workshop/foundry under different heads shall be maintained. Similar records on repairs and maintenance by the various departments and cost centres shall be maintained. The records shall also indicate the basis of charging the workshop expenses to different departments and cost centres. The expenditure so allocated shall be charged to the individual products on machine hours, spindle hours, loom hours or on any other more appropriate basis.

Expenditure on major repair works from which benefit is likely to accrue for more than one financial year shall be shown separately in the cost records indicating the method of its accounting in determining the cost of the various jute goods manufactured during the relevant period.

Expenditure incurred on works of a cpital nature shall be capitalised. The cost of such jobs shall include the expenditure on material, labour and a share of the overheads. The jobs carried out by the workshop/foundry of the jute goods factory for other units of the company and *vice-versa* shall be charged on a reasonable basis and applied consistently.

VI. **Depreciation:**

(a) Proper records shall be maintained showing the cost and other particulars of fixed assets in respect of which depreciation is to be provided. These records shall *inter alia* indicate the cost of each item of assets including installation charges if any, the date of its acquisition, the date of its installation and the rate of depreciation. In respect of those assets, the original cost of acquisition of which cannot be ascertained without an unreasonable expenditure or delay, the valuation shown in the books on the first day of the financial year beginning on or after the commencement of these rules shall be taken as the opening balance.

(b) The basis on which depreciation is calclated and allocated to the various departments and cost centres and to the products shall be clearly indicated in the records. As far as possible depreciation shall be absorbed in the cost of individual products on the basis of the respective machine hours, spindle hours and loom hours. Depreciation chargeable to the different departments and cost centres shall not be less than the amount of depreciation chargeable in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 205 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and shall relate to plant, machinery and other fixed assets utilised in such departments and cost centres. In case the amount of depreciation charged in the costs in any financial year is higher than the amount of depreciation chargeable under the aforesaid provisions of the Companies Act, the amount so charged in excess and the incidence of such excess depreciation on the unit cost of production of the individual jute products manufactured shall be indicated clearly in the cost records. The cumulative depreciation charged in the cost records against any individual item of asset shall not, however, exceed the original cost of the respective asset.

VII. **Overheads:**

Proper records shall be maintained showing the various items of expenses comprising the overheads. These expenses shall be analysed, classified and grouped into works, administration and selling and distribution overheads. The methods followed for the absorption of the overheads in the cost of the products shall be indicated in the cost records. As far as possible works and administration overheads shall be charged to the individual jute goods on machine hours, spindle hours, loom hours, piece wages, yardage, bales or other units as the case may be.

Where the company is engaged in the manufacture of any other products in addition to jute goods, the records shall clearly indicate the basis followed for apportionment of the common overheads including head office expenses of the company to the jute goods activity, other activities and capital works. The basis followed for apportionment of the overheads shall be equitable.

Details of selling and distribution expenses and share thereof applicable to jute goods activity and allocation to individual jute goods shall be maintained in such a manner as to enable the company to fill up the particulars in Proforma 'E' of Schedule II. The allocation to individual products shall be equitable and followed consistently.

Records showing the expenses incurred on export of jute goods, if any, shall be separately maintained, so that the cost of export sales can be determined correctly. The expenses incurred on exports, as well as any export incentives earned shall be reflected in the cost statements relating to export sales.

VIII. **Packing:**

Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of various packing materials such as hoops, buckles, pins, pack-sheets, paper card board core, discs, polythene sheets used for packing each individual jute goods to enable filling up of Proforma C-4. Records shall also be maintained showing wages and other expenses incurred in respect of different modes of packing like bailing, rolling and other forms of packing of various jute goods for arriving at the cost of different packs.. Where such expenses are incurred in common, the basis of apportionment of expenses between different jute products shall be clearly indicated in the cost records and applied consistently.

Separate records of special expenses, if any, incurred on a particular export packing shall also be kept and exhibited in the relevant cost statements for such export.

IX. Additional Expenditure on Special Orders:

Expenses incurred for special croping and mangling, extra calendering, dyeing, branding shall be indicated separately and charged to the respective products.

X. Jute Goods Transferred for Captive Consumption:

Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each item of jute goods transferred to another department/unit of the company for self-consumption. The rates at which such transfers are effected shall be disclosed in the cost records.

Self consumption of one category of jute goods used for conversion into another category of jute goods such as hessian used for manufacture of tapestry or carpets shall be charged at actual cost and the final cost reflected in Proformae 'D' and 'E' for the relevant final jute goods.

If any jute goods are utilised by the company for the manufacture of any other goods not covered by these rules (eg-lenoleum), the quantity, rate and value of such self-consumption shall be indicated separately in Proforma 'E' of Schedule II.

Self consumption of finished jute goods by the company for other uses such as jute bags used for packing cement shall also be shown separately in Proforma 'E' indicating the quantity, rate and value thereof.

XI. **Work-in-Progress and Finished Goods Stock:**

The method followed for determinating the cost of work-in-progress and finished goods stock shall be indicated in the cost records so as to reveal the cost elements that have been taken into account in such computation. The method adopted shall be followed constitently.

XII. **Cost Statements:**

Separate cost statements shall be maintained in respect of each type of jute goods by sizes, specifications and descriptions in Proformae 'D' and 'E' of Schedule II or in a form as near thereto as practicable showing the actual cost of production and cost of sales. Separate statement shall be maintained by the mills showing description, quantity and sale proceeds of all jute goods exported by them specification-wise. Separate cost statements shall be maintained in respect of special jute products like laminated bags, carpets, felt, bleached and dyed jute fabrics, if any, manufactured by a company. Supporting cost data in detail showing the manner in which material, labour and overhead costs applicable to each item of jute goods have been arrived at shall be maintained in Proforma C-1, C-2, C-3 and C-4 of Schedule II or in any form as near thereto as practicable. The data shall indicate the manner in which the quantum of input of weft yarn and warp yarn have been arrived at, the requirements of spindle hours and loom hours, the cost of various processes involved from batching to spinning, beaming, weaving, finishing, sewing and packing.

XIII. **Reconciliation of Cost and Financial Accounts:**

The cost records shall be reconciled periodically with the financial books of accounts so as to ensure accuracy. Variations, if any, shall be clearly indicated and explained. The period for which such reconciliation is effected shall not exceed the period of the financial year of the company. The reconciliation shall be done in such a manner that the profitability of the product under reference can be correctly adjudged and reconciled with the overall profits of the company.

A statement showing the total expenses incurred by the company, income received by it and the share applicable to jute goods shall be maintained in Proforma 'F' duly reconciled with the financial accounts.

XIV. **Adjustment of Cost Variances:**

Where the company maintains cost records on any basis other than actuals, such as standard costing, the records shall indicate the procedures followed by the company in working out the cost of the products under such a system. The method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the product shall be indicated clearly in the cost records. The cost variances shall be shown against the relevant heads in Proformae C-1, C-2, C-3, C-4 and 'D' of Schedule II. The reasons for the variances shall be detailed in the cost records.

XV. **Records of Physical Verification:**

Records of physical verification shall be maintained in respect of all items held in stock such as raw jute, direct materials, packing materials, consumable stores, lubricating oils, machinery spares, fuels, finished goods and fixed assets. Reasons for shortages/surpluses arising out of such verification and the method followed for adjusting the same in the cost of the products shall be indicated in the records.

XVI. **Inter-Company Transactions:**

In respect of supplies made or services rendered by the company to its holding company or a subsidiary or a company under the same management as defined in Section 370(IB) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a company in which a Director of the company is also a Director in such companies and vice-versa, records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understandings reached particularly in respect of:—

(a) purchases and sales of raw jute and finished goods and fixed assets;

(b) utilisation of plant facilities;

(c) supply of utilities; and

(d) administrative, technical, managerial and any other consultancy services.

These records shall indicate the basis followed for arriving at the rates charged between them so as to able determination of the reasonableness of the rates charged/paid for such services.

XVII. **Statistical Records:**

Data such as contracts entered into for purchase of raw jute and sale of finished goods shall be maintained in detail indicating separately forward purchases and sales. These records shall also indicate the extent of completion and mode of completion of each contract for purchase and sale at any specific time. Data regarding plant utilisation indicating the reasons for stoppages and under utilisation of installed capacity under classified headings shall also be kept. Detailed records regarding the manner of control exercised by the company in respect of spinning efficiency and loom efficiency, rejections and wastages in process shall also be maintained.

Such records as will enable the company to identify capital employed separately for jute goods shall be kept. Fresh investments on fixed assets that have not contributed to the production during the relevant period shall also be indicated in the records.

Statistical and other detailed production records maintained in compliance with the provisions of this Schedule and Schedule II shall be such as to enable the company to exercise, as far as possible, control over the various operations and costs and to ensure optimum utilisation of the installed capicties with a view to achieve maximum economies in costs. The records shall provide the

necessary data required by the cost auditor to suitably report on all the points referred to in the Cost Audit (Report) Rules, 1968, as amended from time to time.

The data maintained in the cost records shall be reconciled with the periodical returns submitted by the company to the excise and other authorities.

ANNEXURE I

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Type and description of Jute Goods.....

Statement showing the overall wastage and gain in weight due to process additions of jute goods during the year ending.....

Particulars	Current year (Tonnes)	Previous year (Tonnes)
1. Unprocessed Jute Issues		
2. Stock Variations		
3. Total (1+2)		
4. Fabric Production (Based on Bale point production)		
5. Twist Production (actual) (excluding sale Twist)		
6. Hemming Yarn (")		
7. Sale Twist (Yarn) (")		
8. Total Production (4, 5, 6 &)		
9. Wastage (3—8)		
10. Wastage percent (9 to 3)		
11. Batching Emulsion (Consumed)		
12. Cotton Yarn (")		
13. Starch (")		
14. Dyes (")		
15. Total (3+11 to 14)		
16. Revised Wastage (15—9)		
17. Revised percentage (16 to 15)		

ANNEXURE II

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Type: of Jute Goods Manufactured.....

Statement showing the loss between Winding and Weaving during the year ending.....
.....

	Total Tonnes
1. Opening stock of yarn (Winding to Weaving)	
2. Production in the Winding Dept. (Actual Wt.)	
3. Deduct closing stock of yarn (Winding to Weaving)	
4. Weight of issued yarn	
5. Deduct yarn issued for plying	
6. (a) Deduct yarn sold and transferred or wasted in stock (b) Wastage, if any	
7. Net yarn used in weaving	
8. Weight of woven fabric	
9. Less weight of retained starch	
10. Weight of woven fabric without starch	
11. Drop in yarn weight (7—10)	
12. Item 11 as percentage on 10	

The loss% may be taken into consideration in computing quantity requirements of yarn in Proforma 'D'.

ANNEXURE IIA

Name of the company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Types of Jute Goods manufactured

Statement showing loss between Weaving and Packing during the year ending.....

	Fabric Tonnes	Bag Tonnes
1. Opening stock in Weaving, Finishing and Sack Sewing		
2. Production in Weaving Department (Annexure II) Item 8		
3. Less closing stock in Weaving, Finishing and Sack Sewing		
4. Fabric and Bag issued for packing		
5. Actual Bale Production fabric and bag		
6. Loss between Weaving and Packing (4—5)		
7. Item 6 as% Item 5		

The loss% may be taken into consideration in computing quantity requirements of fabric for Proforma 'D'.

ANNEXURE III

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Goods Factory.....

Statement showing the co.t of steam raised/consumed during the year ending

Quantity of Steam raised.....

Particulars	Quantity (Units)	Rate	Total cost Rs.
1. Water			
2. *Fuels*			
(a) Coal			
(b) Fuel Oil			
(c) Other fuels, if any (to be specified)			
3. Consumable stores			
4 Salaries & Wages			
5. Repairs & Maintenance			
6. Other direct expenses			
7. Depreciation			
TOTAL . . .			
8. Less: Credits, if any			
TOTAL . . .			

Allocated to :	Amount in Rs.
1. Jute Goods Factory	
2. Other products (to be specified)	
TOTAL . . .	

NOTES: (i) If steam is supplied to any other outside party, necessary credit for recoveries made shall be shown separately against item 8.

(ii) Where meters are not installed, consumption of steam shall be assessed on a reasonable basis and applied consistently.

(iii) Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'E'/'F' only and not in any other Proforma.

SCHEDULE II

PROFORMA 'A'

(*See* rule 4)

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Statement showing the total cost of raw jute used for the production of jute goods during the year ending.....

Classification and equivalent Market grade	Opening stock at the mills as on————		Receipts during the year including freight and incidentals		Total		Sale, if any		Net issue during the year		Physical stock adjustments, if any		Closing stock at the mills as on————		Remarks
	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															

NOTES: (1) The value of receipts shall include West Bengal Jute Tax wherever actually paid, freight and other identifiable incidental expenses.

(2) If part of the raw jute received is sold, the details of the quality, quantity, rate and sales realisation there of shall be shown in the records.

(3) Freight and incidentals (Columns 4 and 5)—As far as possible the mill companies will identify the expenses incurred on this account with the various categories and classification of raw jute. The amount which cannot be conveniently identified directly will be distributed *pro rata* on the various categories or class of raw jute on appropriate basis which would be consistently followed.

PROFORMA 'A-1'

Name of the Company..

Name and address of the Jute Factory.....

Statement showing total cutting thread waste and caddies recovered in the process of manufacture and used for production of Jute Goods for the year ending.....

Classification	Opening stock* as on————		Recovered during the year		Total		Consumed during the year		Sale, if any		Physical stock adjustment, if any		Closing stock as on————		Remarks
	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	Qty. Tonnes	Value Rs.	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Cutting															
2. Thread Waste															
3. Caddies															
4. Others															

NOTES : (1) The total quantity and value of raw jute consumed as per Proforma 'A' plus the value of consumption shown in Proforma 'A1' minus the value of recovery shown in Proforma 'A1' should reconcile with the total adjusted batch cost of various quality and count of yarn manufactured by the company as per Proforma 'B' Columns 2 and 3.

(2) Quantities are to be expressed at average normal M.B. % of Raw Jute.

PROFORMA 'B'

(For each count of yarn)

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Statement showing the batch cost and composition of raw jute used for the manufacture of (Type and description to be given) during the year ending.....

(i) Category and specification of yarn.....
(ii) Production in tonnes at winding.....
(iii) Jute input in tonnes.....

Mill Classification and equivalent market grade.	*Out selected jute as per Finisher Card Mixing		Add for cutting			Add for net rejection			Standard uncut net jute input at actual rates			Remarks
	Qty.	Value	Qty.	Rate	Value	Qty.	Rate	Value	Qty.	Rate	Value	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
TOTAL												

Less : (i) Mill Thread Waste
(ii) Mill Caddies

A. Net Standard batch cost of jute

B. Groupwise adjustment for value variation of raw jute and work in process, if any, to reconcile with the actual jute cost as per Proforma 'B1'

C. Net adjusted batch cost of jute used for yarn transferred to Proforma 'D'

NOTES : (1) Separate statements showing Batch Cost for individual quality of yarn produced shall be maintained in this Proforma.
(2) Appropriate quality and quantity and value of jute, line cuttings, waste etc. used for the manufacture of each count of yarn should be indicated under columns 1, 2 and 3 of this Proforma.
(3) A summary batch cost statement showing total batch cost of all the different qualities of yarn manufactured during the year shall be complied and reconciled with the total cost of raw jute issued as per Proforma 'A' and 'A1' adjusted for process stock upto Winding (Proforma 'B1').
(4) Rejections shall be the net result of selections both upgraded and downgraded.
(5) Adjustment of variances under item B shall be made at least under three broad groups namely high, medium and low qualities of jute.
(6) Credits for mill thread waste and caddies shall be shown in column 3.
Including adjustments for wastes.

PROFORMA 'B-1'

Name of the Company.....

Name and address of the Jute Factory.....

Statement showing the reconciliation between actual jute consumption and the total of jute consumption as derived for Proforma 'B'.

		Quantity	*Rate*	*Value*
1.	Opening Stock-in-process (Batching to Pre-winding)			
2.	Net issues during the year as per Proforma 'A'.			
3.	Less closing Stock-in-process (Batching to Pre-winding)			
4.	Actual consumption for the year (1+2—3) (should be same with aggregated total of item 'C' of the Proforma 'B').	High Medium Low		
5.	Net standard Batch Cost for the year as per Proforma 'B' aggregated.	High Medium Low		
6.	Difference adjusted group wise in Proforma 'B' (item 'B')	High Medium Low		

PROFORMA 'C-I'

(1) Name of the Company...
(2) Name and address of the Jute Factory.....
(3) Statement showing the Cost of Production of yarn (excluding Jute Cost) produced during the year ending.....
(4) Specification of yarn.....

	Current year	Previous year
(5) Production in Tonnes		
(6) Spindle Hours		
(7) Spindle Hours/Tonne		

Cost Centres	Absorption Units	Utilities								Adjustment, if any									Cost per M. Ton	
		Batching Oil Rs.	Soap Rs.	Stores & Spares Rs.	Others Rs.	Lubricating Oil Rs.	Departmental Salaries & Wage Rs.	Steam Rs.	Powe Rs.	Other Works Overhea Rs.	Repair & Maintenance Rs.	Depreciation Rs.	Administration Overhead Rs.	Direct Materia Rs.	Labour Rs.	Overhead Rs.	Other expenses Rs.	Total Rs.	Rs.	Previous year Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(a) Jute Handling ..	M. Ton																			
(b) Batching ..	M. Ton																			
(c) Preparing ..	M. Ton																			
(d) Spinning ..	Spindle hours																			
(e) Winding ..	(i) Piece Workers' Wages direct (ii) Others on Spinning Spindle Hours																			
(f) Twisting	Spindle Hour (Twisting)																			
Total																				
Cost per M. Ton																				

Allocation and absorption rate should be separate for fine and coarse sides.

PROFORMA 'C-2'

(1) Name of the Company.....

(2) Name & address of the Jute Factory.....

	Current year	Previous year
(3) Statement showing the cost of production of fabric (excluding jute cost) from Beaming to Finishing produced during the year.....		
(4) Specification of Fabric		
(5) Yarn requirement per tonne (including allowance for wastage).....		
(a) Warp		
(b) Dyed yarn		
(c) Cotton/jute Selvedge		
(d) Weft		
(e) Others		
(i) (a) *Prepacked Production in tonnes/yards		
(b) Total loom hours		
(ii) Loom Reed space		
(iii) Loom picks/Min.		
(iv) Production/Loom hour (Finished yards)		
(v) Loom hours/tonne		
(vi) Yardage/tonne		
(vii) Laid length/cut or Roll		
(viii) Finished length/cut or Roll		
(ix) Warp count		
(x) Weft count		
(xi) Warp spindle requirement/loom		
(xii) Weft Spindle requirement/loom		
(xiii) Warp spindle hours/tonne		
(xiv) Weft spindle hours/tonne		

Cost Centres	Absorption Units	Starch	Selvedge	Stores & Spares	Others	Lubricating Oil	Departmental Salaries & Wages	Utilities: Steam	Utilities: Power	Utilities: Other Works Overhead	Repairs & Maintenance	Depreciation	Administration Overhead	Adjustment, if any: Direct Material	Adjustment, if any: Labour	Adjustment, if any: Overhead	Adjustment, if any: Other Expenses	Adjustment, if any: Total	Cost per M.T.: Current year	Cost per M.T.: Previous year
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Pre-Beaming	—Piece Workers' Wages direct Other —Per rupee of piece workers wages or yardage Starch/Steam—Warp requirement Selvedge—yardage
Beaming	—Piece Workers' Wages direct Others—Per rupee of piece workers' wages or yardage Starch/Steam—Warp requirement Selvedge—Yardage
Weaving	—Piece Workers' wages direct Others —Loom Hours
Inspection	—Piece Workers' wages of yardage Others—Piece workers' wages or yardage
Damping Calendering	Yardage
Cropping Mangling	Yardage
Lapping Rolling 4:	Yardage
Total	

*Prepacked production may be derived from the bale production after adjustment of opening and closing stock.

PROFORMA 'C-3'

	Current year	Previous year
(1) Name of the Company		
(2) Name & address of the Jute Factory		
(3) Statement showing the cost of production of bag (excluding Fabric Cost)		
(4) Quality and Specification of bag		
(5) Sewing twine/100 bags and per tonne of bags		
(6) Weight/bag		
(7) Yards/bag		
(8) Bags/Tonne		
(9) Bags produced]		
(a) Number		
(b) M. Ton		
(c) Fabric consumed in M. Tonnes		
(d) Gunny cutting loss M.T.		
(e) Cutting loss †		

Cost Centres	Absorption Units	Stores & Spares	Others	Lubricating o	Departmental Salaries & Wages	Utilities: Steam	Utilities: Power	Other Works Overhead]	Repairs & Maintenance	Depreciation	Administration Overheads	Adjustment, if any: Direct Materials	Adjustment, if any: Labour	Adjustment, if any:	Adjustment, if any: Other Expenses	Total	Cost per M.T.: Current year	Cost per M.T.: Previous year
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Measuring Cutting	Yards/Pieces
Overhead Sewing	Piece Workers wages direct Others—(a) Related to No. of piece (b) Related to Tonnage
Hemming	Piece Workers' wages direct Others—(a) Related to No. of Piece (b) Related to Tonnage
Hand Sewing	Piece Workers' wages direct Others—(a) Related to No. of piece (b) Related to Tonnage
Union Sewing	Piece Workers' wages direct Others—(a) Related to No. of piece (b) Related to Tonnage
Herackle Sewing	Piece Workers' wages direct Others—(a) Related to No. of Piece (b) Related to Tonnage
Repairing	No. of bags
Branding	No. of bags

PROFORMA 'C-4'

(1) Name of the Company

(2) Name & address of the Jute Factory Total No. of Bales packed.

(3) Quality and specification of bale

(a) Type of goods
(b) No. of yards/bags/per bale or roll
(c) Bales/tonne, Rolls/tonne
(d) No. of Hoops, Buckles, Pins/Bale
(e) Length of Hoop
(f) Pack sheet required
 (*i*) quality/width
 (*ii*) length
(g) Paper/Steel Core
(h) Ends
(i) Polythene sheets
(j) Card Board Disc.

																		Current year	Previous year
Cost Centres	Pack Sheet						Utilities					Adjustment, if any						Cost per M. Ton	
		Packing Materials	Stores and Spares	Others	Lubricating Oil	Departmental Salaries & Wages	Steam	Power	Other Works Overhead	Other Repairs & Maintenance	Depreciation	Administration overhead	Direct materials	Labour	Overhead	Other Expenses	Total		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(1) Press											
(2) Rolling and Packing											
(3) Gunny Godown											
(4) Factory Mechanic											
(5) Workshop											
(6) Others											
Total											

proforma '*C*-1', '*C*-2', '*C*-3' *and* '*C*-4'

NOTES: (1) Detailed data showing the manner in which the above charges have been arrived at shall be maintained separately in respect of each quality of yarn and specification of sacking/Hessian Carpet Backing/bags/laminated bags/carpets and other jute goods.

(2) Apportionment of common overheads and head office expenses to the jute goods in the case of multi-product units shall be equitable and applied consistently.

(3) Bonus to employees other than incentive bonus provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'E' only and not in any other Proformae.

(4) The above data shall form the basis for preparing individual cost statement in respect of different jute goods as per Proforma 'D'.

(5) Rate of absorption shall be based on actual production and expenses shall be the actual for the year. The basis adopted shall be equitable and consistent.

PROFORMA 'D'

Name of the Company———————————————————

Name and address of the Jute Factory———————————————————

Statement showing the cost of production of prepacked———————————————————

(Specification of sale yarn fabric/bags other products to be indicated)

during the year ending———————————————————

		Current year			Previous year		
		Tonnes	Yds. Mtrs.	No. of bags	Tonnes	Yds. Mtrs.	No. of bags
A.	Production						
B.	(i) No. of rolls per tonne of fabric						
	(ii) Yards per tonne of fabric						
	(iii) (a) Yards per roll of fabric						
	(b) No. of bags per bale						
	(iv) No. of bales per tonne of fabric						
	(v) No. of bags per tonne of fabric						

C. Requirements per tonne of fabric (.....bags, Yards)

Items	Count	Spy in cloth	Weaving waste	Spy Yarn Kg.
1. Warp				
2. Dyed				
3. Selvedge				
4. Sewing				
5. Hemming				
6. Weft				
7. Total				
8. Oil percentage of yarn				
9. Starch percentage of warp yarn				

Particulars	Quantity (Units)	Amount Rs.	Cost per tonne	
			Current year Rs.	Previous year Rs.
1	2	3	4	5
1. Batch cost of raw jute as per Proforma 'B'				
2. *Direct Materials*				
(a) Batching Oil				
(b) Soap				
(c) Starch				
(d) Selvedge yarn				
(e) Stores and spares				

3. Other special materials such as dyes, chemicals (to be specified)
4. Lubricating Oil
5. Direct salaries & wages
6. *Utilities*
 (a) Steam
 (b) Power
7. Other Works Overheads
8. Repairs & Maintenance
9. Depreciation
10. Administration Overheads

(**) 11. Sewing cost

(*) 12. Adjustments for cost/variances, if any, where standard costing system is adopted
 (a) (i) Jute Materials
 (ii) Other direct materials
 (b) Labour
 (c) Over heads (including lubricating oil, utilities, repairs & maintenance, depreciation, etc.)

13. Adjustments for opening and closing balances of work-in-progress.
 (a) Jute cost (beaming onwards)
 (b) Conversion cost (batching to finishing)

TOTAL

14. *STOCK adjustments* (Prepacked goods).
 Add: Opening Stock
 Less: Closing Stock

15. Total cost of finished fabric, bags etc. transferred for packing (Proforma 'E')

NOTES : (**) Applicable in the case of bags as per Proforma C3.

(*) Applicable to companies maintaining records on standard costing system only. In such companies the standards shall be indicated alongside actuals in the cost records with reasons for major variations between actuals and standards.

(1) Separate cost statements shall be maintained in respect of each specification and size of sale yarn fabric/bags/laminated bags, jute carpets, jute tapestry and other jute goods.

(2) Detailed supporting cost data regarding the requirements and actual usage of direc materials/labour, overheads, etc., shall be maintained in Proforma 'C1', C2 and 'C3'.

(3) The process loss percentage computed in Annexure IIA and IIB shall be taken into consideration for determining the quantity requirements of yarn and fabric.

(4) Apportionment of common overheads and head-office expenses to the jute goods in the case of multi-product units shall be equitable and applied consistently.

(5) Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory, gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'E' only and not in any other Proformae.

(6) Stock adjustments for prepacked finished jute goods shall be made in this Proforma only.

(7) Additional expenses incurred on any order towards cropping and mangling, extra calendering, dyeing, etc., shall be shown in the relevant cost statement and the extra cost indicated in the form of a foot-note therein.

PERFORMA 'E'

Name of the Company———————————

Name and address of the Jute Goods Factory———————————

Statement showing the cost of sales of———————————

Packed and sold during the year ending———————————. (Specification of fabric/ sale yarn other products to be indicated)

	Current year			Previous year		
	Quantity			Quantity		
	Tonnes	Yards Metres	No. of bags	Tonnes	Yards Metres	No. of bags
I. (a) Quantity packed						
(b) Quantity actually sold						
(c) Quantity used for self consumption.						
II. (a) No of yards per roll						
(b) No of bags per bale.						

Particulars	Qty.	Rate	Total Cost	Cost per tonne		Cost per bale/100	
				Current year	Previous year	Current year	Previous year
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Cost of pre-packed jute goods transferred from Proforma 'D'							
2. *Packing Cost* :							
(a) (i) Pack Sheet							
(ii) Hoops							
(iii) Buckles							
(iv) Pins							
(v) Paper Cardboard cores for carpet backing.							
(vi) Discs							
(vii) Polythene sheets							
(viii) Other packing materials							
(b) (i) Wages							
(ii) Overheads							
(iii) Depreciation							
TOTAL							
3. *Stock Adjustments* (Packed goods only)							
Add : Opening Stock							
Less : Closing Stock							
Cost of quantity packed and actually sold							
4. *Selling & Distribution Expenses* (For quantities sold only)							
(i) Salaries & wages							
(ii) Commission, if any							
(iii) F.A.S. Boating charges/ Lorry hire charges							
(iv) Share of Administration Overheads							
(v) Other expenses							

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Total cost including selling and distribution expenses.							
6. Interest charges.							
7. Annual bonus to employees (other than incentive bonus).							
8. Provision for statutory gratuity.							
9. Other expenses not included in cost (to be specified.							
10. Total expenses excluding excise duty for quantity sold within the country in cluding self consumption.							
11. Sales realisation excluding excise duty for quantity sold within the country :							
(i) Self consumption							
(ii) Sales to others							
TOTAL							
12. Margin							
13. Average sales realisation per tonne/bale/100 bags							
14. Margin per tonne/bale/100 bags.							

NOTES : (1) Separate cost statements shall be maintained in respect of each individual specification and size of jute goods including sale yarn, if any.

(2) The apprortionment of common selling and distribution expenses to the product the case of multi-product units shall be equitable and consistent.

(3) Special expenses incurred on export packing, if any, shall be shown separately in the relevant cost statement for such exports.

(4) Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown separately in Proforma 'E' only and not in any other Proforma in respect of Jute goods.

(5) If the entire or part of the packing plant is used for packing of other products in addition to jute goods, the apportionment of the operating expenses of the packing plant including labour costs to the different products shall be equitable and applied consistently. Supporting data relating to packing cost shall be maintained in Proforma 'C-4'.

(6) Self consumption of one category of jute goods used for conversion into another category of jute goods such as hessian used for the manufacture of carpets or tapestry shall be charged at actual cost and the final cost reflected in Profprma 'D' and 'E for the relevant final jute goods.

(7) If any jute goods are utilised by the company for the manufacture of any other goods not covered by these rules (e.g. linoleum) the quantity, rate and value of such self consumption shall be indicated separately in this Proforma.

(8) Self consumption of finished jute good by the company such as jute bags used for packing cement shall also be shown separately in Proforma 'EE' indicating the quantity, rate and value thereof.

PROFORMA 'F'

Name of the Company———————————

Name & address of the Jute Factory———————————

Statement showing the allocation of total expenses and income of the company in respect of jute goods activity and other activities of the company for the year ending———————————

	Broad Looms Nos.	Narrow Looms Nos.	Spindles Nos.	Quantity Tonnes
(i) Licensed Capacity				
(ii) Installed Capacity				
(iii) Budgeted Capacity				
(iv) Actual utilisation/ production during the year.				
(v) Percentage of (iv)to (ii)				
(vi) Percentage of (iv)to (iii)				

	Carpet Packing		Hessian		Sacking		Others	
	Warp	Weft	Warp	Weft	Warp	Weft	Warp	Weft
(vii) Overall spindle efficiency								
(a) Fine Side								
I. Appron Draft								
II. Slip Draft								
III. Others								
(b) Coarse Side								

	Carpet Packing	Hessian	Sacking	Cotton Bagging
(viii) Over all Loom efficiency				

S. No.	Particulars	Total actual expenses	Share applicable to	
			Jute Goods Activity	Other Activities
		Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5
1.	Raw materials			
2.	Other materials consumed			
4.	Utilities.			
5.	Other Works Overheads			
6.	Repairs & Maintenance			
7.	Depreciation.			
8.	Administralon overheads			
	TOTAL			

1	2	3	4	5
9.	Adjustment for difference between opening and closing balance of work-in-progress.			
	TOTAL			
10.	Less : *Credits for recoveries* (i) Caddies, waste (ii) Others			
11.	Packing Cost			
12.	Stock adjustments for difference between opening and closing stock			
	(i) Pre-packed Stock			
	(ii) Packed Stock			
	TOTAL			
13.	Selling and Distribution expenses			
	TOTAL			
14.	Annual bonus to employees other than incentive bonu.			
15.	Provision for statutory gratuity.			
16.	Interest charges.			
17.	Other expenses not included in cost (item to be specified)			
	TOTAL			
18.	Less any other income not considered in costs (to be specified).			
19.	Total excluding excise duty.			
20.	Deduct export benefits, if any.			
21.	Net sale realisation (excluding excise duty).			
22.	Margin			

All items of income and expenditure in this Proforma shall be reconciled with the financia accounts for the relevant period.

[No. 52/141/73-CAB]

P. B. MENON, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1975

(जूट के माल का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के वर्ग के लिए लागत लेखा अभिलेख नियमों का अन्तिम प्रारूप)

लागत लेखा अभिलेख (जूट का माल) नियम, 1975

सा० का० नि० 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (जूट का माल) नियम, 1975 है।

(ii) ये प्रथम जनवरी, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम जूट के माल का उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण करने में लगी हुई प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "जूट का माल" पूर्णतया जूट से जिसमें बिमलीपत्तम जूट या मेस्ता के रेशे भी आते हैं, या वज़न के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत जूट युक्त, बने हुए धागा, डोरी, कपड़े या अन्य कोई उत्पाद अभिप्रेत है।

4. **अभिलेखों का रखा जाना.**—(1) प्रत्येक कम्पनी जिसको यह नियम लागू हों, इन नियमों के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत समुचित लेखा पुस्तकें रखेगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री, श्रम और लागत के अन्य मदों के उपयोग के सम्बन्ध में, जहां तक वे जूट के माल को लागू हैं, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी: परन्तु यदि उक्त कम्पनी किन्हीं अन्य उत्पादनों का विनिर्माण कर रही है या जूट के माल के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों में भी लगी है तो सामग्री, श्रम और लागत की अन्य मदों के सम्बन्ध में विशिष्टियां, जहां तक वे ऐसे अन्य उत्पादों या क्रिया-कलापों को लागू हैं, ऐसे जूट के माल की लागत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियां इस प्रकार से रखी जाएंगी कि किसी वित्तीय वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के दौरान जूट के माल की प्रत्येक किस्म की उत्पादन लागत और बिक्री लागत की संगणना उसमें प्रविष्ट की गई विशिष्टियों से सम्भव हो सके। अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट ऐसी लेखा बहियां और प्ररूप कम्पनी के उस वित्तीय वर्ष, जिससे वे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर पूरी कर ली जाएंगी।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (6) और उपधारा (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, कम्पनी द्वारा उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों का उसी रूप में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर युक्तियुक्त कदम उठाएगा, जिस रूप में वे उक्त अधिनियम

की धारा 209 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित वित्तीय लेखाओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

5. **शास्ति**.—यदि कोई कम्पनी, नियम, 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करती है, तो वह कम्पनी और उसका प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जिसके अन्तर्गत उस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी आते है, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहने की दशा मे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए पचास रुपए होगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन होता रहता है, दण्डनीय होगा।

अनुसूची—1

(नियम 4 देखिये)

1. **सामग्री :**

(क) **कच्ची सामग्री**– (i) **कच्चा जूट**.–विभिन्न कार्य केन्द्रों या कारखाने के द्वारा पर उपाप्त कच्चे माल की किस्म के अनुसार, जैसी कि मिल के वर्गीकरण के अनुसार हों, तथा बाजार के तत्सम्बन्धी वर्गीकरण के अनुसार, जैसे कि टोसा, टाप, टौसा एल जी, टोसा एस जी, टोसा एस मिड, टोसा मिड, टोसा बोट, टोसा बी० बोट, टोसा एक्स, बाट, सफेद एम मिड, सफेद मिड, सफेद बाट, सफेद बी बाट सफेद एक्स बाट, मेस्ता टाप, मेस्ता एस०मिड, मेस्ता मिड, मेस्ता बाट, मेस्ता बी०बाट, मस्ता एक्स बोट तथा कटिंग आदि, विभिन्न प्रवर्गों की मात्रा और लागत दर्शित करते हुए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेखों मे ऐसे ब्यौरे सम्मिलित होंगे ताकि कम्पनी प्रत्येक श्रोत से प्राप्तियों (जिसके अन्तर्गत संकर्म पर्यन्त उपगत सभी प्रत्यक्ष प्रभार भी है) निर्गमों तथा अतिशेषों की मात्रा तथा लागत अवधारित कर सके। अभिलेखों में संविदा मूल्यों में से उच्चतर नमी की मात्रा और गिरी हुई किस्म के कारण तथा किसी अन्य कारण से की गई कटौतियां भी दिखाई जाएंगी। कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों और मात्राओं के क्रय और विक्रय के लिए की गई संविदाओं को दर्शित करने वाले सविस्तार अभिलेख भी रखे जाएंगे। आंकड़े ऐसी रीति मे रखे जाएंगे जिससे कम्पनी प्ररूप 'क' मे आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत कर सके। जूट के मालों जैसे कि सैकिंग हैसियन, कारपैट बैकिंग, विक्रय के लिए धागा, डोरी (टवाइन) या किसी अन्य उत्पाद के लिए अपेक्षित विभिन्न काऊंटों के धागे के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे जूट के लिए प्रभारित दर लागत अभिलेखों में प्रकट की जाएगी। उपयोग में लाए गए जूट का मूल्य विभिन्न काऊंटों के धागे के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाए गए विभिन्न किस्म के कच्चे माल की मात्रा को ध्यान में रख कर अवधारित किया जाएगा। यदि उपयोग मे लाए गए माल के मूल्य की संगणना करने के लिए आधारित दर वास्तविक लागत से भिन्न है तो मूल्य को इस प्रकार से बैठाया जाएगा ताकि वह कम से कम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वास्तविक मूल्य से मेल खाए।

(ii) **कच्चे जूट की बैच लागत**.—विभिन्न किस्मों और काऊंटों के धागे जैसे कि 8 पौंड वाला हैसियन वार, 9 पौंड वाला हैसियन वार, 10 पौंड वाला हैसियन वार के उत्पादन में प्रयोग मे लाए गए कच्चे माल की किस्म के अनुसार, मात्राएं और उनकी लागत को दर्शाने वाले समुचित अभिलेख प्ररूप 'ख' में रखे जाएंगे। मामूली (कोर्स) धागे के विनिर्माण में प्रयुक्त लाइन कटिंगों, हैसियन कटिंगों गूदड़ (वेस्ट यार्न) कडी आदि का मात्राओं के ब्यौरे प्ररूप 'ख' में, या तो वास्तविक आंकड़ों के आधार पर या सुसंगत काऊंट के लिए मानक के आधार पर रखे जाएंगे। वर्ष के दौरान उत्पादित जूट के माल, प्ररूप 'ख' में दी गई संक्षिप्ति के आधार पर, के विनिर्माण में प्रयुक्त, सकल मात्रा तथा जूट, कटिंग, गूदड़ आदि के विभिन्न बैचों की लागत का मेल अनुसूची, 2 के प्ररूप क और क 1 के अनुसार उपयोग में लाए गए जूट की सकल मात्रा और लागत से बैठना चाहिए। जहां मानकों को आधार बनाया जाए

वहां अन्तरों को प्ररूप ख के अन्तर्गत धागे की प्रत्येक किस्म के लिए प्रयोग में लाए गए कच्चे जूट समूह के वृहत वर्गीकरण के अनुसार, संयोजित किया जाएगा। ऐसे कच्चे जूट के समूह कम से कम तीन प्रकार के होंगे अर्थात् उच्च, मध्यम तथा निम्न। जहां कच्चे माल के उपयोग और मूल्य की संगणना के लिए मानकों को स्वीकार किया जाए वहां कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों के उत्पादन की प्रतिशत मानक मात्रा को बनाए रखा जाएगा।

(ख) **सीधी सामग्री.**—(i) **बैचिंग एमलशन :** सीधी सामग्री की प्रत्येक मद का जैसे कि बैचिंग तेल, साबुन और अन्य एमलशन सामग्री जिसका प्रयोग कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों को मुलायम करने के लिए किया जाए, की मात्राओं और लागत के अनुसार प्राप्तियां, निर्गम और अतिशेष दर्शित करने वाले समुचित लेखे रखे जाएंगे। लागत में संकर्मों पर उपगत, जहां भी वे विनिर्दिष्टतः उपगत किए जाएं, प्रत्यक्ष प्रभार सम्मिलित होंगे। निर्गम के साथ विभागों और लागत केन्द्रों की विशिष्टयां भी दी जाएंगी जहां तक कि बैच और विभिन्न उत्पादों का सम्बन्ध है यदि इन मानकों को ग्रहण किया जाए तो अन्तरण को साम्यपूर्ण और निरन्तर सामान आधार पर संयोजित किया जाएगा।

(ii) **काटन सैलवेज.**—सैलवेज के धागे की मात्राओं और लागत दोनों की बाबत प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों से युक्त समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निर्गमों की सम्यक, पहचान के लिए विभाग, लागत केन्द्रों और उत्पादों जैसे सैंकिंग, हैसियन, कारपैट बैंकिंग के पृथक-पृथक ब्योरों, का उल्लेख किया जाएगा। लागत के अन्तर्गत संकर्म पर्यन्तउपगत सभी प्रत्यक्ष प्रभार, जहां भी वे विनिर्दिष्टत : उपगत किए गए हो, सम्मिलित होंगे। यदि मानकों को ग्रहण किया जाए तो अन्तरों को साम्यपूर्ण और निरन्तर, समान आधार पर संयोजित किया जाएगा।

(iii) **वसा.**—टी० एस० चूर्ण या वसा की अन्य मदों की मात्रा और लागत दोनों की बाबत प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। लागत के अन्तर्गत संकर्म पर्यन्त उपगत सभी प्रत्यक्ष प्रभार सम्मिलित होंगे। निर्गमों की सम्यक् पहचान के लिए विभागों, लागत केन्द्रों और उत्पादों जैसे कि सैंकिंग, हैसियन और कारपैट बैंकिंग का उल्लेख किया जाएगा। विभिन्न आकार प्रकार के जूट के मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त वसा की लागत का बंटवारा युक्तियुक्त पूर्ण आधार पर किया जाएगा और निरन्तर उसी को अपनाया जाएगा।

(ग) **स्नेहक तेल.**—कारखाने द्वारा प्रयुक्त स्नेहक तेल की प्रत्येक मद की मात्रा और लागत दोनों की बाबत प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। निर्गमों की सम्यक् पहचान के लिए विभागों, लागत केन्द्रों और उत्पादों का उल्लेख किया जाएगा और निर्गमों प्रत्येक उत्पाद की लागत में मशीन घंटों, स्पिंडल घंटों, लूम घंटों के आधार पर या किसी अन्य अधिक उपयुक्त आधार पर समामेलित किए जाएंगे।

(घ) **उपयोज्य भण्डार, छोटे औजार, मशीनों के फालतू पुर्जे आदि.**—(i) उपयोज्य भण्डार, छोटे औज़ारों और मशीनों के फालतू पुर्जों की प्रत्येक मद की प्राप्तियों, निर्गमों, अतिशेषों की मात्राओं और लागतों को दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। दर्शित लागत में संकर्म पर्यन्त उपगत सभी सीधे प्रभार, जहां कहीं वे विनिर्दिष्टतः उपगत किए गए हों, सम्मिलित होंगे।

(ii) उपयोज्य भण्डारों और छोटे औजारों की दशा में जिनकी लागत नगण्य है, कम्पनी यदि वह ऐसा करना चाहे तो, ऐसी मदों के मुख्य समूहों के लिए ऐसे अभिलेख रख सकती है।

(iii) उपयोज्य भण्डारों, छोटे औजारों और मशीनों के फालतू पुर्जों के निगम की लागत सुसंगत लेखा शीर्षों, जैसे उत्पादन, सयत्र तथा मशीनों की मरम्मत और रखरखाव, भवनों की मरम्मत, विभागों और लागत केन्द्रों की पहचान के साथ, सुसंगत शीर्षों पर उपगत किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग और लागत केन्द्र से सम्बन्धित ये व्यय मशीन घंटों, स्पिंडल घंटे और लूम घंटों के आधार पर या किसी अन्य अधिक उपरोक्त आधार पर पृथक-पृथक उत्पादों की लागत में समामेलित किए जाएंगे ।

पूंजी संकर्मों के जैसे भवनों, संयंत्र और मशीनों तथा अन्य आस्तियों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री सुसंगत पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत दिखाई जाएगी।

(ङ) **सामग्री पर बरबाद होना, खराब होना, अस्वीकृत किया जाना और उसके भार में हानि और वृद्धि**.—कच्चा जूट, अन्य सीधी सामग्री, स्नेहक तेल, उपयोज्य भण्डार, छोटे औजारों और मशीनों के फालतू पुर्जों की मात्रा और लागत में चाहे अभिवहन के दौरान या भाण्डारकरण या विनिर्माण के दौरान, अथवा किसी अन्य कारण से हुई बरबादी, उनकी खराबी, उनका अस्वीकृत किया जाना और नुकसान होना दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

निर्दिष्ट किए गए उत्पाद की लागत अवधारित करने में उपरोक्त नुकसानों तथा अस्वीकृत और बरबाद हुई सामग्रियों के जिसके अन्तर्गत स्क्रैप, यदि कोई हों, भी है, व्ययन से होने वाली आय को समायोजित करने के लिए अपनाई गई पद्धति लागत अभिलेख में उपदर्शित की जाएगी।

वजन में समग्र बर्बादी और वृद्धि की एक पृथक विवरणी जिसमें अन्तिम रूप दिए गए जूट उत्पाद के वजन में शुद्ध हानि या वृद्धि का समग्र आधार पर दिखाया जाएगा, इस अनुसूची के उपाबन्ध I में उपदर्शित के अनुसार रखी जाएगी। लाइन कटिंगों, केडियों, गूदड़ और अन्य बरबाद हुई सामग्री की वसूली और उपभोग के लिए अनुसूची 2 के प्ररूप क1 में पृथक अभिलेख मात्रा और लागत के अनुसार रखा जाएगा। बाउंडिंग और वीविंग के बीच तथा वीविंग और फिनिशिंग के बीच हुई हानियों को दर्शाने वाले पृथक् अभिलेख उपाबन्ध II और उपाबन्ध II के अन्तर्गत रखे जाएंगे। इन मदों के लागतों के समायोजन के लिए बनाई गई रीति निरन्तर एक सी होगी और लागत अभिलेखों में उसका उल्लेख किया जाएगा।

2. वेतन और मजदूरी :

(क) सभी कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके उपार्जनों तथा उन विभागों, लागत केन्द्रों तथा कार्यों जिन पर उन्हें नियोजित किया गया हो, दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेखों में प्रत्येक विभाग और लागत केन्द्र के लिए निम्नलिखित तथ्य पृथकतः दर्शित किए जाएंगे :

(i) उपार्जित मात्रानुपाती दर मजदूरी ;

(ii) उपार्जित प्रोत्साहन मजदूरी जो चाहे व्यष्टितः या सामूहिक रूप से उत्पादन बोनस रूप में या उत्पादन पर आधारित किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत उपार्जित की गई हो ;

(iii) उपार्जित अतिकालिक मजदूरी ;

(iv) नैमित्तिक कार्य पर लगाए गए श्रमिकों के उपार्जन।

(ख) निष्क्रिय समय की प्रविष्टियां उसके कारणों का उल्लेख करते हुए वर्गीकृत शीर्षों के अन्तर्गत पृथकत: लेखबद्ध किया जाएगा। उत्पादन लागत अवधारित करने में निष्कार्य समय के लिए किए गए संदायों की गणन करने में अपनाई गई पद्धति को लागत अभिलेखों में स्पष्ट किया जाएगा ।

(ग) पूंजी संकर्मों जैसे संयंत्रों और मशीनों, भवनों में वृद्धियां, या अन्य स्थायी आस्तियों को आवंटन योग्य मजदूरी और वेतन सुसंगत पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाएंगे।

(घ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मजदूरी जिनके अन्तर्गत आनुषंगीय हित लाभ सम्मिलित हैं, जो कि लागत केन्द्रों को आवंटित किए गए हों (सिवाय मात्रानुपाती पर मजदूरी के) मशीन घंटों, स्पिंडल घंटों, लूम घंटों के आधार पर या किसी अन्य अधिक उपयुक्त आधार पर समान्यत: विभिन्न उत्पादों की लागत में समामेलित की जाएगी।

मात्रानुपाती दर मजदूरी, जिसके अन्तर्गत आनुषंगीय हित लाभ सम्मिलित हैं, तत्सम्बन्धी कुल उत्पादन के आधार पर जैसे कि गज, बैल, भागों की संख्या या टन पर संगणित की जाएगी।

3. लेखा विभाग के खर्चे :

लागत केन्द्र पर प्रत्येक सेवा विभाग पर उपगत खर्चों को उपदर्शित करने वाले ब्यौरेवार अभिलेख रखे जाएंगे। ये खर्चे साम्यापूर्ण आधार पर अन्य सेवा और उत्पादन विभागों को सारित किये जायंगे।

4. उपयोगी वस्तुएं :

(क) **भाप**.—जहां कम्पनी की जूट फैक्टरी द्वारा भाप तैयार की जाती है वहां तैयार की गई जूट के माल के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई भाप की मात्रा और लागत के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिससे कम्पनी इस अनसूची के उपाबन्ध III में के लिए को आवश्यक विशिष्टियां दे सके। कम्पनी, जूट कारखाने और अन्य एककों द्वारा उपयुक्त भाप की लागत युक्तियुक्त आधार पर संगणित की जाएगी और निरन्तर वही रहेगी। जहां कम्पनी के किसी अन्य एकक द्वारा जूट कारखाने के लिए भाप तैयार की जाए और उसकी आपूर्ति की जाए वहां इस प्रकार आपूर्ति की गई भाप की लागत युक्तियुक्त पूर्ण आधार पर जूट के माल की संक्रियाओं पर प्रभारित की जाएगी और निरन्तर वही रहेगी।

भाप की लागत पृथक-पृथक उत्पादों पर युक्तियुक्त आधार पर प्रभारित की जाएगी और निरन्तर वही रहेगी।

(ख) **विद्युत**.—क्रय की गई विद्युत की मात्रा और लागत पर दर्शित करने वाले, समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। जहां कम्पनी स्वयं विद्युत तैयार करे वहां तैयार की गई विद्युत की लागत दर्शित करने वाले वैसे ही उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे जैसे कि भाप के लिए। अभिलेखों में विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों द्वारा उपयुक्त विद्युत की प्रविष्टियां भी रखी जाएंगी। विद्युत की लागत युक्तियुक्त आधार पर लागत केन्द्रों प्रभारित की जाएगी और युक्तियुक्त आधार पर, जैसे कि मशीन घटे, स्पिंडल घंटे, लूम घटे, पृथक-पृथक उत्पादों में समामेलित की जाएगी और निरन्तर वही आधार रहेगा।

5. कर्मशाला।फाउंडरी।मरम्मत तथा रखरखाव :

कर्मशाला/फाउंडरी द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उपगत खर्चों को दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों द्वारा मरम्मत और रखरखाव के सम्बन्ध में भी वैसे ही अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेखों में वह आधार दर्शित

किया जाएगा जिस पर कर्मशाला के खर्चों को विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों पर प्रभारित किया जाएगा। इस प्रकार नियत किया खर्चा मशीन घंटों, स्पिंडल घंटों, लूप घंटों के आधार पर या किसी और अधिक उपयुक्त आधार पर पृथक-पृथक उत्पादों पर प्रभारित किया जाएगा।

ऐसे प्रमुख मरम्मत संकर्मों पर खर्च, जिनसे एक से अधिक वित्तीय वर्षों तक फायदा होना हो, लागत अभिलेखों में सुसंगत अवधि के दौरान विनिर्मित विभिन्न जूट के माल की लागत अवधारित करने में उसकी गणना की रीति उपदर्शित करते हुए पृथक-पृथक उपदर्शित किए जाएंगे।

पूंजीगत प्रकृति के संकर्मों पर उपगत खर्चे पूंजीकृत किए जाएंगे। ऐसे कार्य की लागत में सामग्री, श्रम और उपरिव्यय का अंश सम्मिलित होगा। जूट के माल के कारखाने की कर्मशाला / फाउंडरी द्वारा कम्पनी के किसी अन्य एकक के लिए, तथा इसके विपरीत कार्य के लिए, खर्चे युक्ति-युक्त पूर्ण आधार पर प्रभारित किए जाएंगे और निरन्तर वही आधार रहेगा।

6. अवक्षयण :

(क) जिन स्थायी आस्तियों की बाबत अवक्षयण की व्यवस्था की जाती है उनकी लागत और अन्य विशिष्टियां दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। ये अभिलेख, अन्य बातों के साथ-साथ, आस्तियों के प्रत्येक मद की, जिसके अन्तर्गत संस्थापन प्रभार, यदि कोई हो, भी है, अर्जन की तारीख, संस्थापन की तारीख और अवक्षयण की दर भी उपदर्शित करेंगे। उन आस्तियों के सम्बन्ध में जिनके अर्जन की मूल लागत बहुत व्यय करने पर या विलम्ब से ही निश्चित की जा सकती हो, उनका वित्तीय वर्ष के आरम्भ के प्रथम दिन या इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् बहियों में दिखाए गए मूल्यांकन को ही आदि अतिशेष माना जाएगा।

(ख) जिस आधार पर अवक्षयण की संगणना की जाए और विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों पर तथा उत्पादों पर उसे प्रभारित किया जाए उसका स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों में किया जाना चाहिए। जहां तक सम्भव हो अवक्षयण को सम्बन्धित मशीन घंटों, स्पिंडल घंटों और लूम घंटों के आधार पर पृथक-पृथक उत्पादों की लागत में समामेलित किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों पर प्रभार्य अवक्षयण कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में प्रभार्य अवक्षयण की रकम से कम नहीं होगा और वह ऐसे विभागों और लागत केन्द्रों में उपयोग में लाए गए संयंत्रों, मशीनों और अन्य स्थायी आस्तियों से सम्बद्ध होगा। ऐसी दशा में जब किसी वित्तीय वर्ष में लागत अभिलेखों में प्रभारित अवक्षयण की राशि कम्पनी अधिनियम के अधीन प्रभार्य अवक्षयण की राशि से अधिक हो, इस प्रकार प्रभारित अधिक राशि तथा विनिर्मित जूट उत्पादों में से प्रत्येक के उत्पादन की लागत इकाई पर ऐसे आधिक्य अवक्षयण का भार लागत अभिलेखों में स्पष्टतः दिखाया जाएगा। आस्तियों की किसी एकल मद के संबंध में लागत अभिलेखों में प्रभारित सम्पूर्ण अवक्षयण सम्बन्धी आस्ति की मूल लागत से अधिक नहीं होगी।

7. उपरिव्यय :

उपरिव्यय की विभिन्न मदों को दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। ये व्यय संकर्म, प्रशासन और विक्रय तथा वितरण उपरिव्ययों के रूप में विश्लेषित, वर्गीकृत और श्रेणीकृत किए जाएंगे। उपरिव्ययों को उत्पादन लागत में समामेलित करने की पद्धति भी लागत अभिलेखों में दर्शित की जाएगी। जहां तक सम्भव हो संकर्म और प्रशासन उपरिव्यय, यथास्थिति, मशीन घंटों, स्पिंडल घंटों, मात्रानुपाती मजदूरी, गजों, बेलों या अन्य इकाइयों के आधार पर पृथक-पृथक जूट के माल पर प्रभारित किए जाएंगे।

जहां कम्पनी जूट के माल के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पाद के विनिर्माण में भी लगी हो वहां अभिलेखों में वह आधार स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा जिसके अनुसार सामान्य उपरिव्ययों को, जिसके अन्तर्गत कम्पनी के मुख्यालय के व्यय भी हैं, जूट के माल की संक्रियाओं, अन्य संक्रियाओं और पूंजीगत संकर्मों पर प्रभारित किया जाएगा। उपरिव्ययों को इस प्रकार प्रभारित करने के लिए अनुसरण किया जाने वाला आधार साम्यापूर्ण होना चाहिए।

विक्रय तथा वितरण के व्ययों के ब्योरे और उनमें का वह अंश जो जूट के माल की संक्रियाओं से सम्बन्धित हो और जूट के पृथक-पृथक माल पर प्रभारित किया जाए, इस रीति से दिखाए जाएंगे ताकि कम्पनी अनुसूची 2 के प्ररूप (ङ) में की विशिष्टियों को भर सके। पृथक-पृथक उत्पादों पर बटवारा साम्यापूर्ण होगा और निरन्तर वही रहेगा।

जूट के माल के निर्यात, यदि कोई हो, पर उपगत व्ययों को दर्शित करने वाले अभिलेख पृथक रूप से इस प्रकार रखे जाएंगे ताकि निर्यात विक्रयों की लागत सही-सही अवधारित की जा सके। निर्यातों पर उपगत व्यय तथा उपार्जित निर्यात विक्रय से सम्बन्धित लागत विवरणियों से स्पष्ट तथा प्रतीत होने चाहिएं।

8. पैकिंग :

जूट के माल की विभिन्न मदों में से प्रत्येक की पैकिंग के लिए प्रयुक्त विभिन्न पैकिंग सामग्री, जैसे हूप्स, बकिल, पिन, पैकशीट, पेपर कार्डबोर्ड कोर, डिस्क, पालिथीन शीट इत्यादि की मात्रा और लागत को दर्शाने वाले समुचित अभिलेख इस प्रकार से रखे जाएंगे कि प्ररूप ग–4 को भरा जा सके। विभिन्न जूट के मालों की पैकिंग के विभिन्न रूपों जैसे बैलिंग, रोलिंग तथा किसी अन्य स्वरूप के सम्बन्ध में उपगत मजदूरी और अन्य व्ययों को दर्शित करने वाले अभिलेख विभिन्न पैकों की लागत की संगणना के लिए रखे जाएंगे। जहां इस प्रकार के व्यय सामान्य रूप से उपगत किए जाते हों वहां विभिन्न जूट उत्पादों पर व्ययों को प्रभारित करने का आधार लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा और निरन्तर वही रहेगा।

विशेष व्ययों, यदि कोई हों, की बाबत, जो किसी विशिष्ट निर्यात की पैकिंग के लिए उपगत किए जाएं, पृथक अभिलेख रखे जाएंगे और ऐसे निर्यात के लिए सुसंगत लागत विवरणी में ऐसे व्यय दिखाए जाएंगे।

9. विशेष क्रियावेशों पर अतिरिक्त व्यय:

विशेष समाकर्तन (क्रार्पिंग) और मैंगलन (मैंगलिंग), अतिरिक्त कैलेण्डरण (कलैंडरिंग), रंगाई तथा ब्रांडीकरण (ब्रांग्जि) पर उपगत व्ययों को पृथक रूप से उपदर्शित किया जाएगा और सम्बद्ध उत्पाद पर प्रभारित किया जाएगा।

10. छत्तर उपयोग (कैप्टिव कंजम्पशन) के लिए जूट के माल का अन्तरण :

स्व उपयोग सैल्फ कंजम्पशन के लिए कम्पनी के अन्य विभाग। एकक को अन्तरित किए गए जूट के माल की प्रत्येक मद की मात्रा और लागत को दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। लागत अभिलेखों में वे दरें दिखाई जाएंगी जिन पर ऐसे अन्तरण किए गए हों।

जूट के माल का वह प्रवर्ग जो जूट के माल के किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित किए जाने के लिए है, जैसे कि हैसियत का टेपैस्टरी या कारपैटों के विनिर्माण के लिए उपयोग जब स्व उपयोग में लाया जाए तब वास्तविक लागत पर प्रभारित किया जाएगा और अन्तिम लागत जूट के सुसंगत अन्तिम माल के लिए प्ररूप 'घ' और 'ङ' में प्रकट की जाएगी। यदि कम्पनी द्वारा किसी जूट के माल का प्रयोग किसी अन्य ऐसे माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है (उदाहरण के लिए लिनोलियम) जो ऐसे स्व उपयोग की मात्रा, दर और मूल्य अनुसूची 2 के प्ररूप 'ङ' में पृथक रूप से उपदर्शित किए जाएंगे।

कम्पनी द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किए गए जूट के माल का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग जैसे कि जूट बैगों का सीमेण्ट को पैक करने के लिए उपयोग, तो उसकी मात्रा दर और मूल्य के साथ पृथक रूप से प्ररूप 'ङ' में दर्शित किया जाएगा।

11. चालू कार्य और तैयार माल का भण्डार :

चालू कार्य और तैयार माल की लागत का अवधारण के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी ताकि लागत के उन उपादानों को परिलक्षित किया जा सके जो ऐसी संगणना में सम्मिलित किए गए हैं। अपनाई गई पद्धति निरन्तर एक सी रहेगी।

12. लागत विवरणी :

जूट के माल की प्रत्येक किस्म के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची के प्ररूप 'घ' और 'ङ' में या उनसे मिलते जुलते प्ररूप में साइजों, आकार, प्रकार और विवरण के अनुसार पृथक लागत विवरणियां रखी जाएंगी जिनमें वास्तविक उत्पादन की लागत और विक्रय लागत दिखाई जाएगी। मिल सभी निर्यात किए गए जूट के माल को उनके आकार प्रकार के अनुसार पृथक विवरणियां रखेगा। जिनमें उनका विवरण, उनकी मात्रा और विक्रय आगमों को दर्शाया जाएगा। कम्पनी द्वारा विनिर्मित विशेष जूट के उत्पादों के सम्बन्ध में जैसे कि लेमिवेट बैग, कारपेट, फैल्ट, ब्लीच किए गए और रंगे गए जूट के कपड़े (फैब्रिक), यदि कोई हों, पृथक लागत विवरणियां रखी जाएंगी। समर्थनकारी लागत आंकड़ों के ब्यौरे, जिनमें वह रीति दर्शित होगी जिसके अनुसार, जूट के माल की प्रत्येक मद पर लगी सामग्री,

या लगे श्रम और उपरिव्यय लागत की संगणना की गई है, अनुसूची 2 के प्ररूप ग–1, ग–2, ग–3 और ग–4 में या उनसे मिलते जुलते प्ररूप में दर्शाए जाएंगे । आंकड़ों से वह रीति जिसमें कि ताना (वफ्ट) धागे और बाना (वार्प) धागे की लागत की मात्रा की संगणना की गई है तथा बैचिंग से स्पिनिंग, ब्लीचिंग, वीविंग, फिनिशिंग, सिलाई और पैकिंग तक की विभिन्न प्रक्रियाओं की लागत, प्रकट होनी चाहिए ।

13. लागत और वित्तीय लेखाओं का समाधान :

शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लागत अभिलेखों का समाधान समय-समय पर वित्तीय लेखा बहियों से किया जाएगा । यदि कोई परिवर्तन किए गए हों, तो उन्हें स्पष्टतः दर्शाया और स्पष्ट किया जाएगा । जिस अवधि के लिए ऐसा समाधान किया गया है, कम्पनी की वित्तीय वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी । समाधान ऐसी रीति से, किया जाएगा कि निर्देशाधीन उत्पाद की उपादेयता ठीक ढंग से आंकी जा सके और कम्पनी के समग्र लाभों से उसका तालमेल बैठाया जा सके ।

कम्पनी द्वारा उपगत कुल व्यय, उसके द्वारा प्राप्त आय और जूट के माल से सम्बन्धित अंशों को दर्शाने वाली एक विवरणी, वित्तीय लेखाओं के साथ समुचित समाधान के पश्चात् प्ररूप "च" में रखी जाएगी ।

14. लागत आंकड़ों का समायोजन :

जहां कम्पनी लागत अभिलेखों को वास्तविक से भिन्न किसी आधार पर रखती है जैसे कि मानक लागत निर्धारण वहां अभिलेखों की कम्पनी द्वारा उस पद्धति के अन्तर्गत उत्पादों की लागत की संगणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया प्रकट होनी चाहिए । उत्पाद की वास्तविक लागत के अवधारण में लागतों के अन्तर के समायोजन के लिए अपनाई गई पद्धति लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्शित की जानी चाहिए । लागत अन्तरों को द्वितीय अनुसूची के प्ररूप 'ग–1', 'ग–2', 'ग–3', 'ग–4' और 'घ' में सुसंगत शीर्षों के सामने दिखाया जाना चाहिए । अन्तर होने के कारणों को भी लागत अभिलेखों में विस्तृत रूप से बताया जाना चाहिए ।

15. वास्तविक सत्यापन के अभिलेख :

स्टाक में रखी गई समस्त मदों जैसे कि कच्चा जूट, सीधी सामग्री, पैकिंग सामग्री, उपयोज्य भण्डार, स्नेहक तेल, मशीनों के फालतू पुर्जे, ईंधन, तैयार माल तथा स्थायी आस्तियों, के सम्बन्ध में वास्तविक सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंगे । ऐसे सत्यापन से प्रकट होने वाली कमियों / बढ़ोतरियों के कारण और उत्पाद की लागत में उनके समायोजन के लिए पद्धति अभलेखों में उपदर्शित की जाएगी ।

16. अन्तः कम्पनी संव्यवहार :

कम्पनी द्वारा अपनी नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी को या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 (1ख) में यथा परिभाषित एक ही प्रबन्ध के अधीन कम्पनी या किसी ऐसी कम्पनी को जिसमें कम्पनी का निदेशक ऐसी कम्पनी में भी निदेशक है तथा इसके विपरित स्थिति में,

की गई आपूर्तियों या सेवाओं के सम्बन्ध में अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित के सम्बन्ध में की गई संविदाओं, किए गए करारों अथवा समझौतों को दर्शित किया जाएगा :—

(क) कच्ची जूट और तैयार माल तथा स्थायी आस्तियों का क्रय और विक्रय;

(ख) संयंत्र प्रसुविधाओं का उपयोग;

(ग) उपयोगिताओं की आपूर्ति ; और

(घ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी तथा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ।

इन अभिलेखों में वह आधार उपदर्शित किया जाएगा जिसका अनुसरण उक्त कम्पनियों के बीच प्रभारित की गई दरों की संगणना के लिए अपनाया गया हो ताकि ऐसी सेवाओं के लिए प्रभारित / संदत्त दरों के औचित्य का अवधारण किया जा सके ।

17. सांख्यकीय अभिलेख :

कच्चे जूट के क्रय और तैयार माल के विक्रय के लिए की गई संविदाओं आदि के आंकड़े ब्यौरेवार रखे जाएंगे जिनमें अग्रिम क्रय और विक्रय पृथक-पृथक रूप से उपदर्शित किए जाएंगे । निम्न अभिलेखों में किसी विनिर्दिष्ट समय पर क्रय और विक्रय के लिए प्रत्येक संविदा कहां तक पूरी की गई है यह और उसे पूरा करने की पद्धति उपदर्शित की जाएगी । संयंत्र के उपयोग की बाबत आंकड़े, जिनमें काम रोकने के तथा संस्थापित क्षमता से कम उपयोग के जिसके अन्तर्गत रीड स्पेस भी है, के कारण वर्गीकृत शीर्षों के अन्तर्गत उपदर्शित किए जाएंगे, रखे जाएंगे । कम्पनी द्वारा स्पिनिंग की क्षमता और लूम क्षमता, प्रक्रिया के दौरान माल रिजेक्ट करने और बरबाद होने के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा किए गए नियंत्रण की पद्धति की बाबत बयौरेवार अभिलेख भी रखे जाएंगे ।

ऐसे अभिलेख रखे जाएंगे जिससे कि जूट के माल के लिए पृथकतः नियोजित पूंजी की पृथक से संगणना कम्पनी द्वारा की जा सके । स्थायी आस्तियों पर किए गए नए विनिधान जिनका लाभ सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादन में न उठाया जा सके, अभिलेखों में उपदर्शित किए जाएंगे ।

इस अनुसूची और अनुसूची 2 के उपबन्धों के अनुसरण में रखे गए सांख्यकीय और अन्य उत्पादन सम्बन्धी ब्यौवार अभिलेख ऐसे होंगे जिससे कि कम्पनी, जहां तक सम्भव हो वहां तक, विभिन्न संक्रियाओं और लागतों पर नियंत्रण रख सके और संस्थापित क्षमता का लागतों में अधिकतम मितव्ययता की दृष्टि से अधिकतम उपयोग ले सके । अभिलेखों में वे सभी आवश्यक आंकड़े दिए जाएंगे ताकि लागत लेखा परीक्षक समय समय पर यथा संशोधित लागत लेखा परीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1968 में निर्दिष्ट सभी तथ्यों की बाबत उचित रिपोर्ट तैयार कर सके ।

लागत अभिलेख में रखे गए आंकड़ों का समायोजन कम्पनी द्वारा उत्पादन-शुल्क और अन्य प्राधिकारियों को दी गई कालिक विवरणियों के साथ किया जाएगा ।

उपाबन्ध I

कम्पनी का नाम———————————————————————

जूट कारखाने का नाम और पता———————————————————

जूट के माल की किस्म और विवरण———————————————————को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान जूट के माल में अतिरिक्त प्रसंस्करण के कारण समग्र बरबादी और वजन में वृद्धि दर्शानेवाली विवरणी

विशिष्टियां	चालू वर्ष (टन)	पूर्ववर्ती वर्ष (टन)
1. अप्रसंस्कृत जूट के निर्गम		
2. स्टाक में अन्तर		
3. (योग 1+2)		
4. कपड़ा (फैब्रिक) उत्पादन (बेल प्वाइंट उत्पादन पर आधारित) . . .		
5. डोरी (ट्विस्ट) उत्पादन (वास्तविक) (विक्रय डोरी को छोड़कर) . . .		
6. हैमिंग धागा (वास्तविक) . . .		
7. विक्रय डोरी (ट्विस्ट) (वास्तविक) .		
8. कुल उत्पादन (4, 5, 6, 7) . .		
9. बरबादी (3–9)		
10. बरबादी का प्रतिशत (9 से 32) . .		
11. बैचिंग इमलशन (उपयोजित) . .		
12. सूती धागा (उपयोजित) . . .		
13. वसा (उपयोजित) . . .		
14. रंग (उपयोजित)		
15. योग (3+11 से 14 तक) . .		
16. पुनरीक्षित बरबादी (15–9) . .		
17. पुनरीक्षित प्रतिशत (16 से 15 तक) .		

उपाबन्ध II

कम्पनी का नाम----------

जूट कारखाने का नाम और पता----------

जूट के माल की किस्म और विवरण----------को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान वायंडिंग और वीविंग के दौरान हानि दर्शित करने वाली विवरणी

	योग (टनों में)
जोड़िये--	
1. धागे का आदि स्टाक---------- (वायंडिंग से वीविंग तक)	
2. वायंडिंग विभाग में उत्पादन (वास्तविक वजन)	
3. कम कीजिए धागे का अन्त स्टाक (वायंडिंग से वीविंग तक)	
4. दिए गए धागे का वजन	
5. कम कीजिए----------प्लायिंग के लिए दिया गया धागा	
6. (क) कम कीजिए----------विक्रय और अन्तरित किया गया या स्टाक में से बरबाद हुआ धागा	
(ख) बरबादी, यदि कोई हो	
7. वीविंग में प्रयुक्त शुद्ध धागा	
8. बुने गए कपड़ा (फैब्रिक) का वजन	
9. कम कीजिए : विद्यमान वसा का वजन	
10. बुने गए कपड़ा (फैब्रिक) का वसा रहित वजन	
11. धागे के वजन में कमी (7-10)	
12. 10 पर प्रतिशत के रूप में मद 11	

हानि के प्रतिशत को प्ररूप 'घ' में धागे की अपेक्षित मात्रा की संगणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

उपाबन्ध II–क

कम्पनी का नाम———————————————————————

जूट के कारखाने का नाम और पता———————————————————————

विनिर्मित जूट के माल की किस्में———————————————————————समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विविंग और पैकिंग के बीच हुई हानि को दर्शाने वाली विवरणी

जोड़िये—	कपड़ा (फैब्रिक) (टनों में)	बोरे (टनों में)
1. वीविंग, फिनिशिंग और बोरा सिलाई की स्थिति में आदि स्टाक		
2. वीविंग विभाग में उत्पादन (उपाबन्ध 2, मद 8)		
3. कम कीजिए:—वीविंग, फिनिशिंग और बोरा सिलाई की स्थिति में अन्त स्टाक		
4. पैकिंग के लिए दिया गया कपड़ा (फैब्रिक)/बोरा		
5. कपड़ा (फैब्रिक)/बोरे का वास्तविक बेल उत्पादन		
6. वीविंग और पैकिंग के बीच हुई हानि (4–5)		
7. मद 5 पर प्रतिशत के रूप में मद 6		

प्ररूप 'घ' के लिए कपड़ा (फैब्रिक) की अपेक्षित मात्रा की संगणना करने में हानि के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाएगा ।

उपाबन्ध III

कम्पनी का नाम----------

जूट के माल के कारखाने का नाम और पता----------को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान तैयार की गई / उपयोग में लाई गई माप की लागत को दर्शाने वाली विवरणी

----------तैयार की गई माप की मात्रा

विशिष्टियां	मात्रा (इकाइयां)	दर	कुल लागत (रुपये)
1. जल			
2. ईंधन			
(क) कोयला			
(ख) ईंधन तेल			
(ग) अन्य ईंधन, यदि कोई हो, (उल्लेख कीजिए)			
3. उपयोज्य भण्डार			
4. वेतन और मजदूरी			
5. मरम्मत और रखरखाव			
6. अन्य प्रत्यक्ष व्यय			
7. अवक्षयण योग			
8. कम कीजिए--			
जमाखाते की गई रकम, यदि कोई हो,			
योग			

प्रभारित--	रुपयों में राशि
1. जूट के माल का कारखाना	
2. अन्य उत्पाद (उल्लेख कीजिए)	
योग	

टिप्पणियां : (i) यदि किसी अन्य बाहरी पक्षकार को माप का प्रदाय किया जाता है तो वसूलियों की वापस जमा खाते की गई रकम मद 8 के सामने पृथक से दिखाई जायगी ।

(ii) जहां मीटर नहीं लगाए गए हों, वहां माप के उपयोग का निर्धारण युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा और निरन्तर उसी को अपनाया जायगा ।

(iii) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, कानूनी उपदान और ब्याज के प्रभार प्ररूप 'ङ०'/'च' में ही दिखाए जायेंगे किसी अन्य प्ररूप में नहीं ।

अनुसूची–2

प्ररूप 'क'

(नियम 4 देखिये)

कम्पनी का नाम ———————————————————

जूट के कारखाने का नाम और पता ———————————————————

——————— को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान जूट के माल के उत्पादन के लिए काम में लाई गई कच्ची जूट की कुल लागत को दर्शाने वाली विवरणी

मिल वर्गीकरण और समतुल्य बाजार ग्रेड	——— तारीख को मिल पर आदि स्टाक		वर्ष के दौरान प्राप्तियां जिसमें भाड़ा और आनुषंगी व्यय सम्मिलित है		योग		विक्रय, यदि कोई हो		वर्ष के दौरान शुद्ध निर्गम		वास्तविक गणना द्वारा मिल पर अंत स्टाक समायोजन स्टाक, यदि कोई हो ——— तारीख को				टिप्पणियां
	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	
1															
2															
3															
4															
5															

टिप्पणियां : (1) प्राप्तियों के मूल्य में पश्चिमी बंगाल जूट कह जहां कहीं भी वस्तुतः संदत्त किया गया हो भाड़ा और अन्य मान्य आनुषंगिक व्यय सम्मिलित होंगे।

(2) यदि प्राप्त की गई कच्ची जूट का कोई भाग विक्रय कर दिया जाए तो अभिलेखों में उसकी किस्म, मात्रा, दर और विक्रय से प्राप्त रकम दिखाई जाएगी ।

(3) भाड़े और आनुषंगिक व्यय (स्तम्भ 4 और 5)—जहां तक संभव हो, मिल कम्पनी इस मद पर उपगत खर्च को कच्ची जूट के विभिन्न प्रवर्गों और वर्गीकरणों के साथ रखेगी जो रकम इस प्रकार प्रत्यक्षतः किसी प्रवर्ग या वर्ग के साथ न लगाई जा सके उसे उपयुक्त आधार पर कच्ची जूट के विभिन्न प्रवर्गों या वर्गों में अनुपाततः बांट दिया जाएगा और निरंतर इसी आधार को अपनाया जाएगा ।

प्ररूप 'क–1'

कम्पनी का नाम ————————————————————

जूट के कारखाने का नाम और पता ————————————————————

———————— को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जूट के माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त कुल कटिगों, गूदड़ और कैंडियों तथा जिनका प्रयोग जूट के माल के उत्पाद के लिए किया गया हो दर्शाने वाले विवरणी

वर्गीकरण	तारीख को आदि स्टाक को		वर्ष के दौरान प्राप्त		योग		वर्ष के दौरान उपयोजित		विक्रय, यदि कोई हो		वास्तविक गणना द्वारा स्टाक का समायोजन यदि कोई किया गया हो		—तारीख को अंत स्टाक		टिप्पणियां
	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	मात्रा टन	मूल्य रु०	
1. कटिंग															
2. गूदड़															
3. कैंडी															
4. अन्य															

टिप्पण : (i) प्ररूप क के अनुसार उपयोग में लाई गई कच्ची जूट की कुल मात्रा और मूल्य तथा प्ररूप क–1 में दिखाए गए उपभोग का मूल्य, के योग में से प्ररूप क–1 में दिखाई गई प्राप्तियों का मूल्य कम्पनी द्वारा विनिर्मित सुत की विभिन्न किस्मों और काउन्ट को, प्ररूप ख के स्तम्भ 2 और 3 के अनुसार कुल समायोजित बैंच लागत के साथ मेल खाना चाहिए।

(ii) मात्राएं कच्चे जूट के औसत प्रसामान्य एम० आर० प्रतिशत के अनुसार वर्णित होगी।

प्ररूप 'ख'

(धागे के प्रत्येक काउन्ट के लिए)

कम्पनी का नाम ——————————

जूट के कारखाने का नाम और पता ——————————

—————— को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान —————————— के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची जूट की बैच लागत और संयोजन दर्शित करने वाली विवरणी (प्रकार और विवरण दीजिए)

(I) धागे का प्रवर्ग और आकार, प्रकार ——————————

(II) वाइंडिंग स्थिति में उत्पादन, टनों में ——————————

(III) जूट की आगत, टनों में ——————————

मिल वर्गीकरण और समतुल्य बाजार ग्रेड	फिनिशर कार्ड मिक्सिंग के अनुसार कटेलेक्ट की गई जूट		कार्टिंग के लिए जोड़िये			कुल अस्वीकृत माल के लिए जोड़िये			वास्तविक दरों के अनुसार मानक बिना कटे शुद्ध जूट की आगत			टिप्पणियां
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	दर	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
योग												

कम कीजिए— (I) मिल गूदड़
(II) मिल कैंडी

(क)	जूट का शुद्ध मानक बैंच लागत
(ख)	प्ररूप ख-1 के अनुसार जूट की वास्तविक लागत के साथ कच्चे जूट के मूल्यों के अन्तर और प्रसंस्करणगत सकर्म, यदि कोई हो, के बीच तालमेल करने के लिए समूहवार समायोजन
(ग)	प्ररूप घ को अन्तरित धागे के लिए प्रयोग में लाए गए जूट की शुद्ध समायोजित बैंच लागत

टिप्पण : (1) उत्पादित धागे की प्रत्येक किस्म के लिए बैंच लागत दर्शानेवाली पृथक पृथक विवरणियां इस प्ररूप में रखी जाएगी ।

(2) धागे के प्रत्येक काउन्ट के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाए गए, जूट , लाइन कटिंग, गूदड़ आदि की किस्म मात्रा और मूल्य इस प्ररूप के स्तम्भ 1, 2 और 3 में उपदर्शित किए जाने चाहिए।
उपदर्शित किए जाने चाहिए ।

(3) वर्ष के दौरान उत्पादित धागे की सभी विभिन्न किस्मों की कुल बैंच लागत दर्शाने वाली बैंच लागत विवरणी को एक संक्षिप्ति संकलित की जाएगी और उसका ताल-मेल प्ररूप 'क' और 'क 1' अनुसार निर्गमित कच्चे जूट की कुल लागत के साथ, बाईंडिंग पर्यन्त (प्ररूप 'ख-1') प्रसंस्करण स्टाक के लिए समायोजन करके, किया जाएगा।

(4) ग्रेड में चढ़ाव या उतार के पश्चात् चयन का शुद्ध परिणाम ही अस्वीकृत माल होगा ।

(5) मद ख के अन्तर्गत अन्तरों का समायोजन कम से कम तीन वृहत समूहों, अर्थात् जूट की उच्च, मध्य और निम्न किस्म में किया जाएगा ।

* गूदड़ के समायोजन सहित

(6) मिल गूदड़ और कैंडियों की जमाखाते की गई राशि स्तम्भ 3 में दिखाई जाएगी ।

प्ररूप 'ख-1'

कम्पनी का नाम———————————

जूट के कारखाने का नाम और पता———————————

वस्तुतः उपयोजित जूट और प्ररूप 'ख' से यथासंगणित कुल उपयोजित जूट के बीच तालमेल दर्शित करने वाली विवरणी

	मात्रा	दर	मूल्य
1. प्रसंस्करणगत आदि स्टाक			
2. प्ररूप 'क' के अनुसार वर्ष के दौरान शुद्ध निर्गम			
3. कम कीजिए : प्रसंस्करणगत अन्त स्टाक (बैचिंग से बाइंडिंग पूर्व तक)			
4. वर्ष के दौरान वास्तविक उपयोजन (1–2–3) (यह प्ररूप 'ख' की मद 'ग' के सकल योग के समतुल्य होना चाहिए)।			
उच्च			
मध्यम			
निम्न			
5. प्ररूप 'ख' के अनुसार वर्ष भर की सकल, शुद्ध मानक बैच लागत			
उच्च			
मध्यम			
निम्न			
6. प्ररूप 'ख' (मद 'ख') में समूहवार समायोजित अन्तर			
उच्च			
मध्यम			
निम्न			

प्ररूप 'ग-1'

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. कम्पनी का नाम		
2. जूट के कारखाने का नाम और पता		
3. ———— को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उत्पादित धागे के उत्पादन की लागत (जूट लागत को छोड़कर) को दर्शित करने वाली विवरणी		
4. धागे का आकार प्रकार		
5. उत्पादन, टनों में		
6. स्पिंडल घंटे		
7. स्पिंडल घंटे/टन		

लागत केन्द्र	समामेलन इकाईयां	बौचिंग तेल	साबुन	भण्डार और फालतू सामान
		रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5
(क) जूट की धरा-उठाई	मीट्रिक टन			
(ख) बैंचिंग	मीट्रिक टन			
(ग) तैयारी	मीट्रिक टन			
(घ) स्पिनिंग	स्पिंडल घंटे			
(ङ) वाइंडिंग	(i) मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी प्रत्यक्ष			
	(ii) अन्य स्पिनिंग करने वाले स्पिंडल घंटे			
(च) ट्विस्टिंग	स्पिंडल घंटे (ट्विस्टिंग)			

अन्य	स्नेहक तेल	विभागीय वेतन और मजदूरी	उपयोगिताएं		अन्य संकर्म उपरिव्यय	मरम्मत और रख रखाव	अवक्षयण	प्रशासन उपरिव्यय	समायोजन, यदि कोई हो				योग	प्रति मीट्रिक टन लागत	
			भाप	विद्युत्					सीधी सामग्री	श्रम	उपरि-व्यय	अन्य खर्च		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

योग	
प्रति मीट्रिक टन लागत	

फाइन साइड और डूसरी साइडों के लिए पृथक-पृथक आवंटन और समामेलन दरें होनी चाहिए ।

प्ररूप 'ग-2'

1. कम्पनी का नाम ——————————

2. जूट के कारखाने का नाम और पता ——————————

3. ——————————— को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उत्पादित कपड़े (फैब्रिक) के उत्पादन की लागत (जूट लागत को छोड़कर) दर्शित करने वाली विवरणी

4. कपड़े (फैब्रिक) का आकार प्रकार

5. धागे की प्रति टन अपेक्षाएं
(बरबादी के प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए)
(क) ताना (वार्प)
(ख) रंगा हुआ धागा
(ग) सूत/जूट सैलवेज
(घ) बाना (वैफ्ट)
(ङ) अन्य

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i)	(क) पहले से पैक उत्पादन टनों/गजों में, (ख) कुल लूम घंटे	
(ii)	लूम रोड स्पेस	
(iii)	लूम पिक/मिन	
(iV)	उत्पादन/लूम घंटे (तैयार माल गजों मे)	
(V)	लूम घंटे/टन	
(Vi)	गजों मे लम्बाई/टन	
(Vii)	धारांक लम्बाई/कट या रोल	
(Viii)	तैयार लम्बाई/कट या रोल	
(ix)	ताना (वार्प) काउंट	
(x)	बाना (वैफ्ट) काउन्ट	
(xi)	ताना (वार्प) स्पिन्डल की अपेक्षाएं / लूम	
(xii)	बाना (वेफ्ट) की अपेक्षाएं/लूम	
(xiii)	ताना (वार्प) स्पिडल घंटे/टन	
(xiV)	बाना (वैफ्ट) स्पिडल घंटे/टन	

लागत केन्द्र	समामेलन इकाईया	वसा	सैलवेज	भण्डार और फालतू सामान
		रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5
बीमिंग पूर्व	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी प्रत्यक्ष अन्य—प्रति कर्मकार मजदूरी या			

1	2	3	4	5
	कुल गज प्रति रुपए की दर पर वसा/माप— ताना –(वार्प) अपेक्षाएं सैलवेज —गजों में लम्बाई			
बीमिंग	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी प्रत्यक्ष अन्य—प्रति कर्मकार मजदूरी या कुल गज प्रति रुपये की दर पर वसा/माप—ताना- (वार्प) अपेक्षाएं सैलवैज—गजों में लम्बाई			
वीविंग	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी प्रत्यक्ष अन्य—लूम घंटे			
निरीक्षण	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी या कुल गज अन्य—मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी या गजों में लम्बाई ।			
शैम्पिंग कलेण्डरिंग कापिंग मेंमलन	मजों में लम्बाई गजों में लम्बाई			
लैंपिंग/रोलिंग	गजों मे लम्बाई			
योग				

पूर्व पैक उत्पादन की गणना आरम्भिक और अन्तिम स्टाक के सामने समायोजन के पश्चात् बेल उत्पादन के आधार पर की जा सकती है

अन्य	स्नेहक तेल	विभागीय वेतन और मजदूरी	उपयोगिताएं		अन्य संकर्म	मरम्मत और रखरखाव	अवक्षयण	प्रशासन उपरिव्यय	समायोजन यदि कोई हो					योग	प्रति मीट्रिक टन लागत
			भाप	विद्युत	उपरिव्यय					मीधी सामग्री	श्रम	उपरि-व्यय	अन्य खच	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

प्ररूप 'ग–3'

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. कम्पनी का नाम ————		
2. जूट के कारखाने का नाम और पता ————		
3. बोरों के उत्पादन की लागत [कपड़े (फैब्रिक की लागत को छोड़कर)] को दर्शाने वाली विवरणी		
4. बोरों की किस्म और आकार प्रकार		
5. सिलाई की डोरी । सौ बोरे तथा बोरों के प्रति टन		
6. वजन । बोरा		
7. गज । बोरा		
8. बोरे । टन		
9. उत्पादित बोरे		
(क) संख्या		
(ख) मीट्रिक टन		
(ग) कपड़ा (फैब्रिक) मीट्रिक टनों में		
(घ) गनी कटिंग में हुई हानि—मीट्रिक टनों में		
(ङ) कटिंग में हुई हानि का प्रतिशत		

लागत केन्द्र	समामेलन इकाइयां	भण्डार और फालतूसामान	अन्य	स्नेहक तेल
1	2	3	4	5
नपाई और कटाई	गज । टुकड़े			
समग्र सिलाई	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी (प्रत्यक्ष)			
अन्य	(क) टुकड़ों की संख्या के अनुसार			
	(ख) टनों के अनुसार			

हैमिंग	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी (प्रत्यक्ष) अन्य (क) टुकड़ों की संख्या के अनुसार (ख) टनों के अनुसार
हाथ सिलाई	मात्रानुपाती कर्मकारो की मजदूरी (प्रत्यक्ष) अन्य (क) टुकडों की संख्या के अनुसार (ख) टनों के अनुसार
यूनियन सिलाई	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी (प्रत्यक्ष) अन्य (क) टुकड़ों की संख्या के अनुसार (ख) टनों के अनुसार
हैरेकिल सिलाई	मात्रानुपाती कर्मकारों की मजदूरी (प्रत्यक्ष) अन्य (क) टुकडों की संख्या के अनुसार (ख) टनों के अनुसार
मरम्मत	बोरों की सख्या
श्रेणी करण	बोरों की संख्या

अन्य विभागीय वेतन और मजदूरी	उपयोगिताएं		अन्य संकर्म उपरिव्यय	मरम्मत और रख-रखाव	अवक्षयण	प्रशासन उपरिव्यय	समायोजन, यदि कोई हो				योग	प्रति मीट्रिक टन लागत	
	भाप	विद्युत					सीधी सामग्री	श्रम	उपरि-व्यय	अन्य खर्चे		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्ररूप 'ग-4'

(1) कम्पनी का नाम———————————————————

(2) जूट के कारखाने का नाम और पता———————————————

(3) पैकिंग की लागत दर्शानेवाली विवरणी———————————————————

(4) बैल की किस्म और आकार प्रकार

(क) माल की किस्म

(ख) प्रति बैल या रोल गजों और/बोरों की संख्या

(ग) बैल/टन रोल/टन

(घ) हूपों, बकिलो, पिनों बैलों की संख्या

(ङ) हूप की लम्बाई

(च) अपेक्षित पैक शीट

(i) किस्म और चौड़ाई

(ii) लम्बाई

(छ) कागज/स्टील कोर

(ज) सिरे

(झ) पोलीथीन शीटें

(ञ) कार्ड बोर्ड डिस्क

लागत केन्द्र	पैक शीट	पैकिंग सामग्री	भाण्डार और फालतू सामान	अन्य	स्नेहक तैल	विभागीय वेतन और मजदूरी	उपयोगिताएं		अन्य उपरि-व्यय
							माप	विकृत	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1) प्रैस									
(2) रोलिंग और पेकिंग									
(3) गनीगोदाम									
(4) कारखाने का यांत्रिक									
(5) कर्मशाला									
(6) अन्य									
योग									

प्ररूप ग-1, ग-2, ग-3 और ग-4

टिप्पणियां : (1) धागे का प्रत्येक किस्म सैकिंग/हैशियन, कारपैट पैकिंग/बोरो/लेमोनेट बोरो कारपैटो तथा अन्य जूट के माल के प्रत्येक आकर प्रकार के सम्बन्ध में यह दर्शाने वाले पृथक पृथक ब्यौरेवार आंकड़े दिए जाएंगे कि उपरोक्त प्रभारों की संगणना किस रीति से की गई है।

(2) 95 उत्पादों के एककों की दशा में सामान्य उपरिव्यय और मुख्यालय व्ययों का जूट के माल पर बटवारा साम्यपूर्ण होगा और निरन्तर वही रहेगा।

प्ररूप 'ग–4' क्रमश :

चालू वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष

पैक किए गए बेलों की कुल संख्या

मरम्मत और रखरखाव	अवक्षयण	प्रशासन उपरि-व्यय	समा-योजन, यदि कोई हो सीधी सामग्री	श्रम	उपरि-व्यय	अन्य खर्चे	योग	पर चालू	मैट्रिक वर्ष
								टन लागत	पूर्व-वर्ती वर्ष
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(3) कर्मचारियों का प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, कानूनी उपदान और ब्याज के प्रभारों की व्यवस्था प्ररूप ङ में दिखाए जाएंगे न कि किसी अन्य प्ररूप में।

(4) उपरोक्त आंकड़े, विभिन्न जूट के मालों के सम्बन्ध में प्ररूप घ के अनुसार पृथक पृथक लागत विवरणियां तैयार करने के लिये आधार होंगे।

(5) समामेलन की दर वास्तविक उत्पादन पर आधारित होगी और व्यय वर्ष के दौरान के वास्तविक खर्चे होंगे। अपनाया गया आधार साम्यापूर्ण और निरन्तर एक जैसा होगा।

प्रारूप 'ध'

कम्पनी का नाम———— ———— ———— ———— ————

जूट के कारखाने का नाम और पता————————————————————

————————को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पूर्व पैक किए गए————————————

के उत्पादन का लागत को दर्शाने वाली विवरणी [कपड़ा (फैब्रिक) बोरों/अन्य उत्पादों/ विक्रय धागे के आकार प्रकार उपदर्शित किए जाएं]

क—उत्पादन	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	टन गज/मीटर बोरों की संख्या	टन गज/मीटर बोरों की संख्या

ख—(i) कपड़ा (फैब्रिक) की प्रति टन रोलों की संख्या

(ii) कपड़ा (फैब्रिक) के प्रति टन गज

(iii) (क) कपड़ा (फैब्रिक) की प्रति रोल गज

(ख) प्रति बेल बोरों की संख्या

(iv) कपड़े (फैब्रिक) प्रति टन बेलों की संख्या

(v) कपड़े (फैब्रिक) की प्रति टन बोरों की संख्या

ग—कपड़े (फब्रिक) की प्रति टन अपेक्षाएं (————————बोरे, गज)

मद	काउन्ट	कपड़े में स्पाई	बनाई में बरबादी प्रतिशत	स्पाई धागा किलोग्राम
(1) ताना (वार्प)				
(2) रंग				
(3) सेल्वेज				
(4) सिलाई				
(5) हैमिंग				
(6) बना (वेफ्ट)				
(7) योग				
(8) धागे का तैल प्रतिशत				
(9) ताने के धागे का वसा प्रतिशत				

विशिष्टियां	मात्रा (इकाइयां)	रकम	प्रति टन लागत	
			चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
		रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5
1. प्ररूप ख के अनुसार कच्चे जूट की बेच लागत				
2. साधी सामग्री				
(क) बैचिंग तेल				
(ख) साबुन				
(ग) बसा				
(घ) सेल्वेज धागा				
(ङ) भण्डार और फालतू सामान				
3. अन्य विशेष सामग्री जैसे रंग, कैमिकल्स (उल्लेख कीजिए)				
4. स्नेहक तेल				
5. प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी				
7. उपयोगिताएं				
(क) भाप				
(ख) विद्युत्				
7. अन्य सकल उपरिव्यय				
8 मरम्मत और रखरखाव				
9 अवक्षयण				
10. प्रशासन उपरिव्यय				
11. सिलाई लागत**				
12. जहां मानक लागत पद्धति अपनाई गई हो, वहां लागत अन्तरों, यदि कोई हो, का समायोजन*				
(क) (i) जूट सामग्री				
(ii) अन्य सीधी सामग्री				
(ख) श्रम				
(ग) उपरिव्यय (जिस में स्नेहक तेल, उपयोगिताएं, मरम्मत और रखरखाव, अवक्षयण, आदि सम्मिलित है)				

1	2	3	4	5

13. चल रहे कार्य के आदि और अंत अनिशेषों के लिए समायोजन

(क) जूट लागत (बोविंग से आगे तक) बीमिंग से प्रारम्भ करके

(ख) परिवर्तन लागत (बीचिंग से फिनिशिंग तक) (पूर्व पैक किया गया माल)

14. **स्टाक समायोजन**

जोड़िये—आदि स्टाक

कम कीजिए अन्त स्टाक

15. तैयार कपड़े (फैब्रिक), बोरों आदि की कुल लागत (प्ररूप ड०)

टिप्पणियां : **प्ररूप ग–3 के अनुसार बोरों की दशा में दिया जाएगा ।

†उन कम्पनियों की दशा में दिया जाएगा जो केवल मानक लागत पद्धति के आधार पर अभिलेख रखती है । ऐसी कम्पनी की दशा में लागत अभिलेखों में मानकों के साथ साथ वास्तविकताओं को उपदर्शित किया जाएगा तथा वास्तविकताओं के मानकों के बीच प्रधान अन्तरों के कारण भी दिखाए जाएंगे ।

(1) प्रत्येक विक्रय धागे, कपड़े (फैब्रिक) / बोरे लेमीनेट/ बोरे, जूट कारपेट, जूट टेपेस्टरी और अन्य जूट के मामलों के प्रत्येक आकार प्रकार के सम्बन्ध में पृथक लागत विवरणिया रखी जाएंगी ।

(2) सीधी सामग्री / श्रम, उपरिव्यय आदि की अपेक्षाओं और वास्तविक उपभोग की बाबत वास्तविक समर्थक लागत आंकड़े प्ररूप–ग1, ग2 और ग3 में रखे जायेंगे ।

(3) धागे और कपड़े (फैब्रिक) की अपेक्षित मात्रा का अवधारण करते समय उपबन्ध II–क और II–ख में संगणित प्रशष्करणगत हानि को ध्यान में रखा जाए गा ।

(4) बहुत उत्पादन एककों की दशा में सामान्य उपरिव्ययों और मुख्यालय व्ययो का बटवारा साम्यापूर्ण होना और निरन्तर एकसा होगा ।

(5) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस भिन्न बोनस, कानूनी उपदान तथा ब्याज के प्रभारों की व्यवस्था प्ररूप ड0 में दिखाई जाएगी न कि किसी अन्य प्ररूप में ।

(6) पूर्व पैक किए गए तैयार जूट के माल के लिए आवश्यक समायोजन केवल इसी प्ररूप में किया जाएगा ।

(7) किसी अन्य मद पर क्रापिंग और मेंगलन, अतिरिक्त कैलेण्डरन, रंगाई, आदि पर उपगत अतिरिक्त व्यय सुसंगत लागत विवरणी में दिखाया जाएगा और अतिरिक्त लागत को प्ररूप में पाद टिप्पणी के रूप में उपदर्शित किया जाएगा ।

प्ररूप 'ङ'

कम्पनी का नाम----------

जूट के माल के कारखाने का नाम और पता ----------

----------को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पैक किए गए और विक्रय किए गए----------

----------के विक्रय की

[कपड़े (फैब्रिक)/विक्रय धागे और अन्य उत्पाद का उल्लेख कीजिए]

लागत को दर्शाने वाली विवरणी

	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	मात्रा			मात्रा		
	टन	गज/मीटर	बोरों की संख्या	टन	गज/मीटर	बोरों की संख्या
I. (क) पैक की गई मात्रा						
(ख) वस्तुत विक्रय की गई मात्रा						
(ग) स्वउपयोग में ली गई मात्रा						
II. (क) प्रति रोल गजों की संख्या						
**(ख) प्रति बेल बोरों की संख्या						

विशिष्टियां	मात्रा	दर रु०	कुल लागत रु०	प्रति टन लागत		प्रति बेल लागत	
				चालू वर्ष रु०	पूर्ववर्ती वर्ष रु०	चालू वर्ष रु०	पूर्ववर्ती वर्ष रु०
1	2	3	4	5	6	7	8

1. पहले से पैक किए गए जूट के माल को, जिसे प्ररूप घ से अन्तरित किया जाए, सामत

2. **पैकिंग लागत**

(क) (i) पैक शीट
(ii) हूप
(iii) बकिल
(iv) पिन
(v) कारपैट बैकिंग के लिए पेपर कार्डबोर्ड कोर
(vi) डिस्क
(vii) पोलीथीन शीट
(viii) अन्य पैकिंग सामग्री

1	2	3	4	5	6	7	8

(ख) (i) मजदूरी

(ii) उपरिव्यय

(iii) ह्रासक्षयण

योग :

3. **स्टाक समायोजन** :

(केवल पैक किए गए माल)
जोड़िए : आदि स्टाक

कम कीजिए : अन्त स्टाक ---------- ----------

पैक की गई और वस्तुत: विक्रय की गई मात्रा की लागत

4. **विक्रय और वितरण व्यय**

(केवल विक्रय की गई मात्रा की बाबत)

(i) वेतन और मजदूरी

(ii) कमीशन, यदि कोई हो,

(iii) एफ ए एस नौवहन प्रभार / लौरी किराया प्रभार

(iv) प्रशासन उपरिव्यय का भाग

(v) अन्य व्यय

5. कुल लागत जिसमें विक्रय और वितरण व्यय भी है ।

6. ब्याज का प्रभार

7. कर्मचारियों को वार्षिक बोनस
(प्रोत्साहन बोनस से भिन्न)

8. कानूनी उपदान के लिए व्यवस्था

9. लागत में सम्मिलित न किए गए अन्य व्यय
(उल्लेख कीजिए) ----------

10. कुल व्यय जिस में देश में भीतर विक्रय की गई मात्रा पर उत्पाद शुल्क और स्वउपयोग की मात्रा सम्मिलित नहीं होगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8

11. विक्रय से वसूली जिस में देश के भ तर ि क्रय की गई मात्रा पर उत्पाद शुल्क ं ि ित नहीं होगा :

(i) स्वउपयोग

(ii) अन्यों को विक्रय योग

12. छूट (मार्जिन)

13. प्रति टन/बेल/सौ बोरों पर औसत विक्रय वसूली

14. प्रति टन/बेल/सौ बोरों पुर छूट (मार्जिन)

टिप्पणी : (1) जूट के माल, जिसके अन्तर्गत विक्रय धागा यदि कोई हो, सम्मिलित है, के प्रत्येक आकार प्रकार और साइजों के सम्बन्ध में पृथक लागत विवरणियां रखी जाएंगी ।

(2) बहु-उत्पाद एककों की दशा में उत्पादों पर सामान्य विक्रय और वितरण व्ययों का बटवारा साम्यापूर्ण और निरन्तर एक सा होगा ।

(3) निर्यात के लिए पैकिंग पर उपगत विशेष व्यय, यदि कोई हो, ऐसो निर्यातों के लिए सुसंगत लागत विवरणी में पृथक से दिखाई जाएगी ।

(4) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, कानूनी उपदान और ब्याज प्रभारों के लिए व्यवस्था केवल प्ररूप ङ में दिखाये जायेंगे न कि जूट के माल से सम्बन्धित किसी अन्य प्ररूप में ।

(5) यदि जूट के माल की पैकिंग का समस्त संयंत्र या उसका कोई भाग अन्य उत्पादों की पैकिंग के लिए उपयोग में लाया जाए तो पैकिंग संयत्र के परिचालन का व्यय, जिसके अन्तर्गत श्रम लागत भी है, का बटवारा विभिन्न उत्पादों पर साम्यापूर्ण और निरन्तर एक सा होगा । पैकिंग लागत से सम्बन्धित समर्थनकारी आंकड़े प्ररूप ग–4 में रखे जाएंगे ।

(6) जूट के माल के किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तन के लिए स्वउपयोग जैसे कि हैशियन का कारपैट और टेपेस्टरी के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने पर वास्तविक लागत के अनुसार प्रभारित किया जाएगा और अन्तिम तौर पर तैयार किए गए जूट के सुसंगत माल के लिए अन्तिम लागत प्ररूप घ और ङ में दिखाई जाएगी ।

(7) यदि कोई जूट का माल कम्पनी द्वारा किसी ऐसे अन्य माल के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया जाए जो इन नियमों के अन्तर्गत न आता हो (जैसे लिनोलियम) तो ऐसे स्वउपयोग की मात्रा, दर और मूल्य इस प्ररूप में पृथक से दर्शाए जाएंगे ।

(8) कम्पनी द्वारा तैयार जूट के माल का स्वउपयोग जैसे जूट के बोरों का सिमेन्ट को पैकिंग के लिए उपयोग प्ररूप ङ में पृथक से उस की मात्रा, दर और मूल्य के साथ दिखाया जाएगा ।

प्ररूप 'ब'

कम्पनी का नाम ——————————————————

जूट के कारखाने का नाम और पता ——————————————————

——————को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी की जूट के माल से सम्बन्धित क्रियाओं तथा अन्य क्रियाओं के बीच कुल आय और व्यय के बटवारे को दर्शाने वाला विवरणी

	ब्रांड लूम की संख्या	नेरो लूम की संख्या	स्पिन्डलों की संख्या	मात्रा टन
(i) अनुज्ञप्ति क्षमता				
(ii) संस्थापित क्षमता				
*(iii) बजट की गई क्षमता				
(iv) वर्ष के दौरान वास्तविक उपयोग/उत्पादन				
(v) (iv) से (ii) तक का प्रतिशत				
(vi) (iv) से (iii) तक का प्रतिशत				

	कारपैट बैकिंग		हैशियन		बोरा बनाना		अन्य कार्य	
	ताना	बाना	ताना	बाना	ताना	बाना	ताना	बाना
(vii) समग्र स्पिन्डल क्षमता								
(क) फाइन साइड								
(i) एप्रेन ड्राफ्ट								
(ii) स्लिप ड्राफ्ट								
(iii) अन्य								
(ख) दूसरी साइड								

	कारपैट बैकिंग	हैशियम	बोरा बनाना सूती	बोरा बनाना
(viii) समग्र लूम क्षमता				

क्रम सं०	विशिष्टियां	कुल वास्तविक व्यय	भाग का बटवारा	
			जूट के माल से सम्बन्धित सव्यवहार	अन्य संव्यवहार
			रु०	रु०
1	2	3	4	5
1.	कच्ची सामग्री			
2.	उपयोजित अन्य सामग्री			
3.	सीधे वेतन और मजदूरी			
4.	उपयोगिताएं			
6.	अन्य सकर्म उपरिव्यय			
6.	मरम्मत और रखरखाव			
7.	अवक्षयण			
8.	प्रशासन उपरिव्यय			
	योग			
9.	चालू काम के आदि और अन्त अतिशेष के बीच अन्तर के लिए समायोजन			
	योग			
10.	कम कीजिए : जमा खाते डाली गई वसूलियां			
	(i) कैंडी, गूदड़			
	(ii) अन्य			
11.	पैकिंग लागत			
12.	आदि तथा अन्त स्टाक के बीच अन्तर के लिए समायोजन			
	(i) पूर्व पैक किया गया स्टाक			
	(ii) पैक स्टाक			
	योग			
13.	विक्रय और वितरण व्यय			
	योग			
14	कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न वार्षिक बोनस			
15.	कानूनी उत्पादन के लिए व्यवस्था			

1	2	3	4	5
16. ब्याज के प्रभार				
17. लागत में सम्मिलित न किए गए अन्य व्यय (मदों का उल्लेख कीजिए)				
योग				
18. कम कीजिए : लागत में न ली गई कोई अन्य आय (उल्लेख कीजिए)				
19. बिना उत्पाद शुल्क के योग				
20. कम कीजिए : निर्यात प्रसुविधाएं, यदि कोई हों				
21. शुद्ध विक्रय वसूलियां (बिना उत्पाद शुल्क के)				
22. अन्तर (मार्जिन)				

इस प्ररूप में आय और व्यय की सभी मदों का तालमेल सुसंगत अवधि के लिए वित्तीय लेखाओं के साथ किया जाएगा ।

[सं० 52/141/73-सी ए ब]

पी० बी० मैनन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975